

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

**TWELFTH ANNUAL REPORT
1983-84**



**RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION**

**110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700068**

DECEMBER, 1984

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700 068

Published by Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy
Library Foundation, 110, Jodhpur park, Calcutta-700 068 and Printed
at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Mohammad Road, Calcutta-700026.
Phone : 46-4541.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
ANNUAL REPORT 1983-84

CONTENTS	Pages
Chapter 1 Introduction	1
Chapter 2 Book Assistance	3
Chapter 3 Financial Assistance	9
Chapter 4 Promotional Activities	11
Chapter 5 Administration	14
Chapter 6 Conclusion	18
APPENDICES	
I. List of Members of the Foundation	23
II. List of Members of the Administrative Committee	27
III. List of the Conveners of the State Library Planning Committees	29
IV. Organisation Chart	34
V. Statement of assistance towards storage of books during 1983-84	35
VI. Statement showing the position of assistance during 1983-84	36
VII. Statement of audited accounts for 1983-84	38
VIII. Statement of libraries assisted at various levels during 1983-84	52
IX. Statement of number of libraries covered from 1972-73 to 1983-84	54
X. Chart Showing quantum of expenditure under different schemes during 1983-84	56

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
Twelfth Annual Report
1983-84

CHAPTER 1

INTRODUCTION

This Annual Report covers the activities of the 12th year of Raja Rammohun Roy Library Foundation. It came into existence in May 1972 on the occasion of the bicentenary of the birth of Raja Rammohun Roy. The Foundation has been sponsored as an autonomous organisation by the Ministry of Education and Culture, Govt. of India, to support and promote library movement in the country. The basic objective of the Foundation is to extend library facilities for the people in co-operation with State Governments and Union Territory Administrations and other organisations working in the field. The Foundation is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961.

Constitutionally, libraries and for that matter public libraries in particular, come under the jurisdiction of State Governments. India has 22 States and 9 Union Territories each different from the other in size, population, percentage of literacy, economic development and socio-cultural environment. Naturally, the extent and quality of library service vary from state to state. Five of the major states which adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960), Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) have generally been found to be more advanced in library service than others. On the other hand, some of the smaller states and union territories have developed good infrastructure of public libraries by administrative measures. Mention may be made of Assam, Tripura and Pondicherry where governments have taken steps to establish and maintain libraries in small administrative units. Delhi being served by Delhi Public Library stands on a different footing. Most of the states, however, find it convenient to

promote library service by means of the system of grants-in-aid to voluntary organisations. Kerala and Gujarat provide best examples in this category. During the year under report most of the states participated in the programmes of the Foundation. Maharashtra, Karnataka and Himachal Pradesh, however, failed to utilise assistance due to administrative bottlenecks. Nothing substantial could be done for Madhya Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir and Meghalaya in spite of our best efforts. Orissa, on the other hand, came forward in a big way to support their rural libraries. The resource position being what it is, the Foundation maintained a steady level of assistance during the year.

The Foundation is not merely a financing body for the development of public libraries in the country. It is conscious of its role as a catalytic agent for the qualitative improvement of library services. With this end in view the Foundation carried out certain programmes during the year. A pilot survey of public library services in Karnataka conducted through the Department of Library and Information Science of Mysore University was completed. The survey has revealed some of the limitations and weaknesses in rural library sector in an otherwise advanced state. The project for drafting a National Policy on Library and Information System reached the final stage*. In the context of the Seventh Five Year Plan an orientation seminar on Library Planning and Management was organised in co operation with National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi, to impart training to the senior administrators of library services in States and Union Territories. The need for library legislation was emphasised through different forums. A project for the construction of the Foundation's office building at Calcutta was started. In short, the period witnessed another fruitful year of co-operative service rendered by the Foundation for the development of library services in the country.

* Since completed.

BOOK ASSISTANCE

Books and readers constitute the two basic elements of library service. Book assistance to the public libraries, therefore, continued to be the main programme of the Foundation during the 6th Plan period. The assistance is rendered under two schemes viz :

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and reading and visual materials.
 2. Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services.
- 1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and visual materials :**

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it augments its stock from time to time. But as availability of funds is not keeping up with the increasing price of books, the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, whatever funds are available from different sources are spent primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, continued this major scheme of augmenting the book-stock of libraries.

Assistance under the scheme is given from two sources : matching source and central source. When assistance is rendered from the matching source, the responsibility for selection, purchase and distribution of books is vested in the state authority ; and when assistance is rendered from the central source, the Foundation is responsible for selection and supply of the books.

MATCHING BOOK ASSISTANCE

The State Library Planning Committee or the State Library Committee of each State and Union Territory prepares proposals for assistance under this major scheme. It prepares the list of books and the list of libraries to which the books are to be sent. For this purpose the Foundation has issued detailed guidelines. During the year, the Foundation has further advised that selection of books containing provocative remarks and references that might lead to communal, political and social tension should be avoided.

Once lists of books and beneficiary libraries are approved by the State Library Committee steps are taken to purchase and distribute the books. Some States viz., (1) Andhra Pradesh, (2) Assam, (3) Bihar, (4) Gujarat, (5) Karnataka, (6) Kerala, (7) Maharashtra, (8) Mizoram, (9) Orissa, (10) Pondicherry, (11) Punjab, (12) Tamil Nadu, (13) Tripura and (14) Uttar Pradesh continued to assume the responsibility for the purchase and distribution of books. The Foundation, however, has been doing this job for the rest of the States and Union Territories as these are reluctant to do so on the ground that they do not have adequate machinery for placing orders and checking the bills of suppliers. Payment is released by the Foundation on receipt of copies of orders and certified bills from the Conveners of the SLPCs in respect of the former group of States. When the Foundation places orders, 75% payment is made to the publishers/suppliers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgement from the recipient libraries.

The matching programme of book assistance has been subdivided into parts keeping in view the organisational pattern of libraries and the level of readership they serve : (a) Assistance to State Central Libraries and District Libraries and (b) Assistance to Town and Rural Libraries.

(a) *Book assistance to the State Central Libraries and District Libraries :*

Almost all the States and Union Territories, have set up State Central Libraries. Delhi is served by the Delhi Public Library. The State Central Library of Tamilnadu i.e., Connemara Public Library and M. S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries in some States viz., (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra and (5) Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually Government Libraries. However, Gujarat Vidyapeeth in Gujarat, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are government libraries and some are only government aided.

During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 383 District Libraries. Books worth Rs. 2.73 lakhs were supplied to these libraries.

(b) *Book assistance to urban and rural libraries :*

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking in the south they are called Branch Libraries, in the west and north Taluka or Tehsil Libraries and in the east Sub-Divisional Libraries. Further below we have Block, Municipal, Town and Rural Libraries. Many of these libraries are run by voluntary organisations, registered or unregistered. For the purpose of giving grants, the libraries are sometimes classified into various groups. Since the aim of the Foundation is to extend

library service to small towns and villages, great stress has been laid upon assistance to this group of libraries. During the year the Foundation rendered assistance worth Rs. 30.45 lakhs to these libraries below the district level.

DIRECT BOOK ASSISTANCE

In addition to matching assistance, the Foundation also gives direct assistance out of its own resources to certain categories of libraries in a limited scale. The beneficiary libraries under this programme are (a) Centrally Sponsored Libraries like Nehru Yuvak Kendras, Jawahar Bal Bhavans etc. and (b) State Central Libraries and District Libraries through Central Selection of books, mainly in English.

(a) *Assistance to Centrally Sponsored Libraries :*

The Central Department of Education under its Youth Services Programme has established Nehru Yuvak Kendras in various District Headquarters of the country for the welfare of non-student youths between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programmes and to run circulating library services through rural youth clubs. The Foundation supports the library services organised by the Kendras. Similarly the Bal Bhavan Society of India has sponsored Jawahar Bal Bhavans in different parts of the country. The Central Department of Social Welfare also has set up Aurobindo Bal Kendras in big cities for the education of slumdwelling children. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Govt. of India. During the period the Foundation rendered assistance to 37 Nehru Yuvak Kendras and 21 Bal Bhavans and Bal Kendras.

(b) *Assistance to State Central Libraries and District Libraries directly by the Foundation :*

Apart from the books, mainly in Indian languages, selected by

the respective SLPC/SLC for State Central Libraries and District Libraries, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a limited number of books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries in the country. Guidelines for central selection of books were also adopted by the Foundation's Administrative Committee. During the year the Foundation selected 378 titles for State Central Libraries and 49 titles for both State Central and District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. 4.03 lakhs.

2. Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services :

If the benefits of public library service are to reach the vast number of the less educated and neo-literate persons in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books, written in simple language on subjects of popular interest, at their doorsteps. All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one book deposit centre to another with the help of cheap modes of transport or free service of volunteers. Where library service has not reached a rural area, a book depository centre is to be set up in the village and where library coverage has been extended to a village, door to door service is to be organised in co-operation with the voluntary agencies and paid workers engaged in implementing adult education programmes.

Assistance under the scheme is generally given to an institution or a voluntary organisation on a matching basis on the recommendation of the state government. But the scheme is also operated by many centrally sponsored libraries to which direct assistance is rendered by the Foundation.

During the year the Foundation rendered assistance to Visva Bharati University to support their library extension activities in 20 centres.

This scheme is meant for disadvantaged sections of the people living in rural and remote areas where it is difficult to establish and maintain regular libraries. In this connection mention may be made of a special amount of Rs. 10,000/- given under the matching programme in favour of Blindmen's Association of Ahmedabad for the production of Braille literature.

FINANCIAL ASSISTANCE

There are three schemes under which financial assistance is rendered to the libraries.

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts.
2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions.
3. Assistance towards storage of books.

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts :

The Foundation adopted in 1975-76 this scheme of giving financial assistance to old and well-established libraries of the country for fumigation, lamination, binding, repair and preservation of rare books, journals and manuscripts. Though the Foundation recommends that such rare books and manuscripts should be collected and preserved by some selected libraries having facilities for preservation of such materials, many libraries do not like to part with their treasures. Hence assistance has to be given under the scheme to a large number of public libraries on the recommendation of the state authorities. During the year the Foundation rendered financial assistance of Rs. 5000/- to 6 libraries. So far the Foundation has covered 438 libraries and spent Rs. 8.55 lakhs for the purpose.

2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions :

The object of the scheme is to give reorientation training

to librarians and to promote the use of books and reading habit among the public. Assistance under the scheme is available to the Library Department/Directorate of State, State Central Libraries, Library Associations and Institutions imparting training in Library Science. During 1983-84 the Foundation gave assistance to the Indian Library Association worth Rs. 10,000/- towards the organisation of the Golden Jubilee and XXIX All India Library Conference at Mysore in December 1983. Assistance to the extent of Rs. 3000/- was also released in favour of Sambalpur University on the recommendation of the state government for organising the seminar on Public Library Planning in Orissa.

3. Assistance towards storage of books :

This is comparatively a new scheme adopted in 1979-80 to enable small libraries below district level to keep and display increasing number of books received from the Foundation.

Under this scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than 2 almirahs/racks in a year on the recommendation of the State Government. During the year the Foundation sanctioned assistance to 324 nos. of libraries in the States of Kerala, Orissa and Mizoram (Appendix—V).

PROMOTIONAL ACTIVITIES

1. Celebration of the 211th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and 11th anniversary of the Foundation

The Foundation celebrated the 211th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and 11th anniversary of the Foundation on 24 May 1983. Prof. Satish Chandra delivered the Foundation Day Oration on Integration, Dynamism and Stagnation in Indian Culture. Shri Mohan Mukerji, Chairman of the Foundation presided.

This function also marked the end of the decenary celebration of the Foundation. On that occasion the Chairman released a Souvenir entitled "A DECADE OF THE FOUNDATION".

The Foundation also paid homage to Raja Rammohun Roy on the occasion of his 150th death anniversary along with the State Government of West Bengal and other cultural organisations in Calcutta.

The Foundation sent photographs of the Raja's ancestral homes and other personal belongings for an exhibition held in London and Bristol from 24 to 29 September 1983 under the auspices of British Indian Association and Raja Rammohun Roy Memorial Trust, London.

2. Pilot Survey of Public Library Services in Karnataka

A project of pilot survey of public library services in Karnataka sponsored by the Foundation through the Library Science Department of Mysore University was completed during the year.

3. National Policy on Library and Information System

A preliminary draft of the National Policy on Library and Information System prepared by Dr. B. P. Barua, Director, RRLF was considered by the Working Group in its meeting held on 6 January 1984. The policy document is expected to be finalised early next year.*

4. Orientation Seminar on Planning and Management for Senior Administrators of Public Library Services

The Foundation organised an Orientation Seminar for Senior Administrators of Library Services in States and Union Territories on Planning and Management of Public Library Services in collaboration with National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) at New Delhi from 6 to 10 February 1984. 30 Senior Administrators of Library Services from 16 states viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Tripura and 4 Union Territories viz. Pondicherry, Delhi, Arunachal Pradesh and Mizoram participated in the Seminar.

The main objectives of the Seminar were to acquaint the participants with :

- (i) the role of library services in programmes of National Development and Reconstruction,
- (ii) the modern trends in planning and management of public library services,
- (iii) the different models of library development and
- (iv) the systems of coordination and linkages of public library services with formal and non-formal system of education and mass communication.

* Since completed.

The seminar adopted 12 recommendations under 3 broad areas :

- (a) Project and strategy for development of public library services during 7th Five Year Plan ;
- (b) Coordination and linkages of public library system with formal and non-formal system of education ; and
- (c) Management and administration of public libraries.

5. Institutional Membership

The Foundation continued to be institutional member of (1) Indian Library Association (ILA), (2) Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) and (3) International Federation of Library Science and institution (IFLA).

6. Foundation's Library

The special library on Library and Information Science that started functioning in 1981-82 in the office of the Foundation had a collection of 234 books at the end of the year.

7. Special Assistance

The Foundation sometimes donate books to reputed public libraries out of its general stock comprising of sample copies of books received in the office for consideration of selection under the central scheme. During the year the Foundation donated 156 titles to Rammohun Library and Free Reading Room, Calcutta.

ADMINISTRATION

1. The Foundation

The Foundation is composed of 22 members headed by the Education Minister, Govt. of India or his/her nominee as its Chairman.

The Foundation held two meetings during the year : on 24 May 1983 at Calcutta and 5 October 1983 at Shastri Bhavan, New Delhi (For list of members of the Foundation see (Appendix I)).

2. Administrative Committee

The Foundation's functioning is managed by an Administrative Committee. It consists of 11 members including the ex-officio members viz. Chairman, Financial Adviser, representative of the Department of culture and the Member Secretary. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held three meetings during the year on 23 May 1983 and 7 January 1984 at Calcutta and 4 October 1983 at Shastri Bhavan, New Delhi. (For list of members of the Administrative Committee see Appendix II).

3. State Library Planning Committees (SLPCs) / State Library Committees (SLCs)

State Library Planning Committees (SLPCs) / State Library Committees (SLCs) are the principal agencies through which the Foundation collaborates with States and Union Territory Governments. These committees are expected not only to plan the expansion and development of library services in their respective states but also to supervise the implementation

of various programmes of assistance adopted by the Foundation. These are also expected to serve as coordinating bodies of several state departments engaged in the promotion of library services at various levels. The SLP Cs/SLCs are supposed to meet at least twice a year. Functions of the SLP Cs/SLCs are :

- (a) to prepare a perspective and annual plan of library services, particularly in the non-metropolitan areas in the state with particular reference to the assistance programmes of the Foundation,
- (b) to ensure payment of State Government contribution to and drawal of matching grant from the Foundation,
- (c) to scrutinise and recommend proposals for assistance to the Foundation,
- (d) to select books according to the felt-need of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation,
- (e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation,
- (f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and other cultural activities,
- (g) to perform any other activity conducive to the development of library movement in the State/Union Territory.

(For the list of Conveners of State Library Planning Committees see Appendix III).

4. Chairman

Shri Mohan Mukerji (IAS Retd.), former Chief Secretary

and Adviser to the Governor of Rajasthan, continued as the Chairman of the Foundation.

5. Member Secretary and other Staff

Dr. B. P. Barua continued as Member Secretary. With the approval of the Ministry of Education Culture, Govt. of India, the Foundation amended its Memorandum of Association for changing the designation of the executive head of the organisation from Member-Secretary to Director.

Dr. Pandey S.K. Sharma, Shri N.K. Chaudhuri and Shri R. Bhattacharjee continued as Field Officer, Executive Officer and Assistant Secretary respectively. The staff strength excluding a part time sweeper was 27. (For organisation chart of the Foundation, see Appendix IV).

6. Hindi Training Scheme

The Foundation has taken steps to implement the official language implementation programme and to train up the staff under the Hindi Training Scheme, Govt. of India in Hindi. Two members of the staff completed training during the year under report.

7. Accommodation

The office of the Foundation is located in a rented flat at 110 Jodhpur Park, Calcutta-700068. The accommodation is not adequate. The Foundation acquired a plot of land Calcutta measuring 18.06 cottahs (1208 sq. metres) at Salt Lake, Calcutta from the Govt. of West Bengal. A two-storeyed building with ten-storeyed foundation is being constructed through the M.D. Department, Salt Lake Division, Govt. of West Bengal.

8. Rules and Regulations

Three rules have been adopted during the year : (a) GPF-cum-Pension-cum-Gratuity Rules, (b) Medical Attendance Rules and (c) T.A. and D.A. Rules for non-official members of the Foundation.

9. Finance

The Foundation is fully financed by the Govt. of India. During the year the Foundation received grant of Rs. 32.61 lakhs (Rs. 4.61 lakhs under Non-Plan and Rs. 28 lakhs under Plan) from the Govt. of India. In addition, the Foundation, also receives contribution from the States and Union Territory Governments. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution received during the year was Rs. 18.04 lakhs. (For statement showing position of assistance to various states and union territories see Appendix VI).

10. Account

The accounts of the Foundation for 1983-84 have been audited by the Director of Audit (Central), Calcutta, and approved by the Foundation in its Annual General Meeting held on 22-5-84. (For statement of audited accounts for 1983-84 see Appendix VII).

CONCLUSION

1. Problems and bottlenecks

The problems and bottlenecks faced by the Foundation in the execution of its programmes are mainly threefold : (a) late submission and non-submission of proposals for assistance by some states, (b) increasing price of books and (c) effects of decentralisation.

In the existing scheme of things the Foundation has to depend on the state government machinery for the implementation of its programmes. Its performance reflects the total performance of the participating states and union territories. Sometimes it fails to achieve the target owing to circumstances beyond its control. During the year under report two major states viz. Maharashtra and Karnataka could not execute the programme due to administrative problems of their own. Proposal from another state, West Bengal, was received very late. As a consequence, the total volume of assistance targetted for the year could not be reached.

The ever increasing rise in the price of books and other library materials is adversely affecting the assistance programme of the Foundation. In real terms the quantum of assistance has decreased over the years. The Foundation is being pressed hard by the states to enhance the ceiling of matching assistance (Rs. 2.00 lakhs) so much so that the Government of Orissa unilaterally increased the amount of annual contribution to Rs. 3.00 lakhs. With the limited resources at its disposal the Foundation finds it difficult to cope with this demand for more assistance.

The Foundation has adopted a new procedure of decentralised assistance with effect from the year 1982-83. According to

this procedure, the states are no longer required to submit list of books and list of libraries to the Foundation for prior approval with the intention that this would accelerate the utilisation of assistance and minimise delay. The removal of the compulsion of prior approval from the Foundation does not seem to have improved the situation very much. On the other hand, some states are not careful enough in finalising the list of recipient libraries along with the list of books. This has resulted into incomplete compilation of statistics of recipient libraries by the Foundation.

2. Achievements

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1984, the Foundation received a total contribution of Rs. 427.60 lakhs out of which Rs. 247.58 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 180.03 lakhs from the states and union territories.

The volume of assistance rendered during the year 1983-84 amounts to Rs. 39.70 lakhs and the grand total of assistance during the last twelve years is Rs. 365.82 lakhs.

Over the last twelve years the Foundation has covered 17,676 libraries at various levels :

State Libraries	...	28
District Libraries	...	386
Sub-Division/Taluka/Tehsil Libraries	...	506
Nehru Yuvak Kendras	...	163
Bal Bhavans/Bal Kendras	...	48
Town and Rural Libraries	...	15,550
Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres	...	879
N. S. S. Centres and others	...	116
Total :	<hr/>	<u>17,676</u>

(For number of libraries covered at different levels during 1983-84 and from 1972-73 to 1983-84 see Appendix VIII and IX respectively).

On the whole, the 12th year of the Foundation has been a satisfactory year. Though the volume of assistance has not exceeded the record figure of the previous year, it made significant contribution to the quantitative expansion and qualitative improvement of library services in the country.

APPENDICES

LIST OF MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. Shri Mohan Mukerji
Chairman, RRRLF
'Shyamoli'
Bhawani Singh Marg
Jaipur 302015
2. Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan
Additional Secretary to the
Government of India
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi
3. Shri Manmohan Singh
Financial Adviser to the
Government of India
(Integrated Finance Division)
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi
4. Prof. C. L. Anand
Joint Educational Adviser to the
Government of India
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi
5. Shri V. P. Marwah
Joint Secretary to the
Government of India
Ministry of Social Welfare
Shastri Bhavan
New Delhi

6. Shri Krishna Kripalani
Chairman
National Book Trust, India
A-5, Green Park
New Delhi
7. (a) Prof. P. B. Mangla
President till 20 December 1983
Indian Library Association
19/4, Cavalry Lines
Delhi University Campus
Delhi 110007
- (b) Shri Girja Kumar since 21 December 1983
8. (a) Dr. R. S. Kelkar
Secretary
Sahitya Akademi
Rabindra Bhawan
Ferozeshah Road
New Delhi
- (b) Prof. Indra Nath Chaudhuri since March 1984
9. Shri A. K. Sen
B-42, Panchsheel Enclave
New Delhi 110017
10. Prof. A. K. Jalaluddin
N.C.E.R.T.
Shri Aurobindo Marg
New Delhi 110016
11. Dr. Ramesh K. Arora
Prof. of Public Administration
University of Rajasthan
Jaipur 302004

12. Dr. Surajit Sinha
Director
Centre for Studies in
Social Sciences & Research
10 Jadunath Sarkar Road
Calcutta 700029
13. Dr. Suresh Dalal
Director
Srimati Nathibai Damodar
Thackersey Women's University
Department of Post Graduate
Studies & Research
Patkar Hall Building, 6th floor
1, Nathibai Thackersey Road
Bombay 400020
14. Dr. K. M. George
Director and Chief Editor
Comparative Indian Literature
Karimpumannil
Kowdiar
Trivandrum 695003
15. Dr. Fahmida Begum
Director
Bureau for Promotion of Urdu
Ministry of Education & Culture
West Block, R. K. Puram
New Delhi 110002
16. Shri Subhas Biswas
Director
Government of India
Central Secretariat Library
Shastri Bhavan
New Delhi

17. Shri P. V. Krishnamoorthy
234, 20th East Street
Kamaraj Nagar
Tiruvanmiyur
Madras 600041
18. Prof. P. N. Kaula
Visiting Professor
Lucknow University
Lucknow
Uttar Pradesh
19. Shri P. K. Patil
Head
Department of Library
Science-cum-University
Librarian
Mysore University
Mysore
20. Dr. R. S. P. Singh
Librarian
Sinha Library
Patna 800001
21. Shri T. Ratan
Deputy Chief Librarian
State Central Library
Govt. of Arunachal Pradesh
New Itanagar
Arunachal Pradesh
22. Dr. B. P. Barua
Director
R. R. R. L. F.
Calcutta

LIST OF MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

1. Shri Mohan Mukerji
Chairman, RRRLF
'Shyamoli'
Bhawani Singh Marg
Jaipur 302015
2. Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan
Additional Secretary to the Govt. of India
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan, New Delhi
3. Shri Manmohan Singh
Financial Adviser to the Govt. of India
(Integrated Finance Division)
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan, New Delhi
4. Prof. P. B. Mangla
President
Indian Library Association
19/4, Cavalry Lines
Delhi University Campus
Delhi 110007
5. A. K. Sen
B-42, Panchsheel Enclave
New Delhi 110017
6. Dr. Ramesh K. Arora
Prof. of Public Administration
University of Rajasthan
Jaipur 302004

till 20 Dec. '83

7. Dr. Suresh Dalal
Director
Srimati Nathibai Damodar Thackersey
Women's University
Department of Post Graduate
Studies & Research
Patkar Hall Building, 6th floor
1, Nathibai Thackersey Road
Bombay 400020
8. Shri Subhas Biswas
Director
Government of India
Central Secretariat Library
Shastri Bhavan, New Delhi
9. Dr. K. M. George
Director and Chief Editor
Comparative Indian Literature
Karimpumannil, Kowdiar
Trivandrum 695004
10. Shri P. K. Patil
Head
Department of Library
Science-cum-University
Librarian
Mysore University
Mysore
11. Dr. B. P. Barua
Director
R. R. R. L. F
Calcutta

**LIST OF THE CONVENERS OF STATE LIBRARY
PLANNING COMMITTEES**

1. ANDHRA PRADESH

Director of Public Libraries
Hyderabad
Andhra Pradesh

2. ASSAM

Librarian
State Central Library
Gauhati
Assam

3. BIHAR

Superintendent of Libraries
Bihar
Sinha Library Road
Patna 1

4. GUJARAT

Curator of Libraries
Gujarat State
Sector No. 21
(Near Gymkhana)
Gandhinagar 382121

5. HARYANA

Director of Public Instruction (Colleges)
Chandigarh

6. HIMACHAL PRADESH

State Librarian
State Central Library
Solan
Himachal Pradesh

7. JAMMU & KASHMIR

Director of Education
J & K Government
Old Secretariat
Srinagar

8. KARNATAKA

State Librarian and Head
Department of Public Libraries
Seshadri Iyer Memorial Hall
Cubbon Park
Bangalore 560001

9. KERALA

State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum 695001

10. MAHARASHTRA

Director
Directorate of Libraries
Maharashtra State Town Hall
Bombay

11. MADHYA PRADESH

Director
Tribal & Harijan Welfare Department
Govt. of Madhya Pradesh
Bhopal

12. MANIPUR

Chief Librarian
State Central Library
Manipur
Imphal

13. MEGHALAYA

Director of Public Instruction
Shillong
Meghalaya

14. NAGALAND

Director
Art & Culture
Kohima, Nagaland

15. ORISSA

Under Secretary to the
Government of Orissa
Department of Tourism, Sports & Culture
Bhubaneswar

16. PUNJAB

Assistant Director (Cultural Affairs)
Office of the Director of Public Instruction (C)
Punjab, S.C.O. No. 66-67
Chandigarh

17. RAJASTHAN

Deputy Director (Social Education)
Directorate of Primary & Secondary Education
Rajasthan, Bikaner

18. SIKKIM

Officer-on-Special Duty
Cultural Affairs
Community Centre Library
Gangtok 737101

19. TAMIL NADU

Director of Public Libraries
Tamil Nadu, Egmore
Madras 600008

20. TRIPURA

Senior Librarian
Birchandra State Central Library
Government of Tripura
Agartala 799001

21. UTTAR PRADESH

Officer-on-Special Duty (Libraries)
Government of Uttar Pradesh
Department of Education
38, Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annex
Vidhan Bhavan
Lucknow.

22. WEST BENGAL

Director of Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700001

UNION TERRITORIES

1. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair
Andamans

2. ARUNACHAL PRADESH

Deputy Chief Librarian
Central Library
Govt. of Arunachal Pradesh
New Itanagar
Arunachal Pradesh

3. CHANDIGARH

Librarian

T.S. Central State Library

Chandigarh.

4. DADRA & NAGAR HAVELI

Head of the Education Department

Office of the Administrator

Dadra & Nagar Haveli

Silvassa

5. DELHI

Director of Education

Delhi Administration

Old Secretariat, Delhi

6. GOA, DAMAN & DIU

Curator

Govt. of Goa, Daman & Diu

Central Library

Panaji, Goa

7. LAKSHADWEEP

Social Welfare Officer

Admn. of the Union Territory of

Lakshadweep

Dept. of Social welfare & Culture

Kavaratti (Via) H.P.O. Calicut.

8. MIZORAM

Deputy Director of Education


Aizawl, Mizoram

9. PONDICHERRY

Director of Education

Pondicherry 605001

ORGANISATION CHART



**STATEMENT OF ASSISTANCE TOWARDS STORAGE OF
BOOKS DURING 1983-84**

Sl. No.	Name of State	No. of libraries covered	Amount released
1.	Kerala	233	Rs. 1,32,250.00
2.	Orissa	79	Rs. 31,600.00
3.	Mizoram	12	Rs. 18,000.00

Two cheques @ Rs. 500.00 from Kerala were received back and cancelled during the year 1983-84.

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF ASSISTANCE DURING 1983-84

Name of the State	Opening Balance	Contribution during	Matching Assistance	Total available	Amount Released	<i>Amount in thousand</i>	
						Balance if Released	Remarks
Andhra Pradesh	358	300	300	958	265	693	Bills not received
Assam	50	50	100	200	33	167	— do —
Bihar	276	200	200	676	657	19	— do —
Gujarat	290	100	100	490	196	294	Proposal not recd.
Haryana	—	—	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	—	—
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—	—	—
Karnataka	(-) 331	400	400	469	37	432	Bills not received
Kerala	952	—	—	952	210	742	Proposal not recd.
Madhya Pradesh	(-) 34	—	—	(-) 34	—	(-) 34	Awaiting adjustment
Maharashtra	101	200	200	501	69	432	Proposal not recd.
Manipur	—	10	10	20	—	20	Bills not received
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	26	—	—	25	51	50	1

Orissa	131	100	464	695	702	(—)	7	Awaiting adjustment
Punjab	11	50	50	111	106	5		
Rajasthan	159	—	100	259	234	25	Bills not received	
Sikkim	2	—	—	2	—	2		
Tamil Nadu	510	—	—	510	174	336	Bills not received	
Tripura	2	49	49	100	5	95	— do —	
Uttar Pradesh	118	200	200	518	467	51	— do —	
West Bengal	72	100	100	272	27	245	— do —	
Andaman & Nicobar	—	10	10	20	—	20	Proposal not recd.	
Arunachal Pradesh	14	10	10	34	8	26	— do —	
Chandigarh	—	—	—	—	—	—		
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—		
Delhi	—	—	—	—	—	—		
Goa, Daman & Diu	10	—	10	20	—	20	— do —	
L. M. & A. Islands	—	—	—	—	—	—		
Mizoram	66	20	20	106	65	41	— do —	
Pondicherry	13	5	46	64	30	34	— do —	
Total :	2796	1804	2394	6994	3335	3659		

RAJA RAMMOHUN ROY

(i) Receipts and Payments Account

R E C E I P T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Opening Balance :				
Cash in hand				
Cash at bank (Current A/c)	—			
—do— (Savings A/c)	2,27,746.07			
Term Deposit	13,270.10			
Permanent Advance (Imprest)	<u>6,00,000.00</u>		8,41,016.17	
			500.00	
II. Contribution Received from the Governments of :				
1. Andaman & Nicobar	10,000.00			
2. Andhra Pradesh	3,00,000.00			
3. Arunachal Pradesh	10,000.00			
4. Assam	50,000.00			
5. Bihar	2,00,000.00			
6. Gujarat	1,00,000.00			
7. Karnataka	4,00,000.00			
8. Maharashtra	2,00,000.00			
9. Mizoram	20,000.00			
10. Manipur	10,000.00			
11. Orissa	1,00,000.00			
12. Punjab	50,000.00			
13. Pondicherry	5,000.00			
14. Tripura	49,000.00			
15. Uttar Pradesh	2,00,000.00			
16. West Bengal	<u>1,00,000.00</u>		18,04,000.00	
III. Grants Received from Government of India :				
Non-Plan				
Plan	4,61,000.00			
C/O	<u>28,00,000.00</u>		32,61,000.00	
			<u>59,06,516.17</u>	

LIBRARY FOUNDATION

for the period from 1-4-83 to 31-3-84

P A Y M E N T S

	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
Administration :						
1. Pay & Allowance of Staff	4,03,925.12					
Less Recovery of Income Tax	<u>6,185.00</u>					
	3,97,740.13					
Less Recovery of P/Tax	<u>2,519.00</u>		3,95,221.13			
2. Travelling Allowances of Staff		29,996.75				
3. Medical & Other Allowances of Staff		9,727.30				
4. T.A. etc. of Non-official members in connection with the meetings of the Foundation, Administra- tive Committee etc.		51,906.30				
		28,368.00				
5. Rent of Building		65,991.97				
6. Other Charges						
7. Leave Salary and Pension Contribution		9,486.00				
		12,254.09				
8. Maintenance of Staff Car						
9. Foundation's Contribution to C.P.F.		17,186.00				
10. Payment of Interest and Bonus on C.P.F.		14,029.34				
		5,000.00				
11. Staff Welfare		5,775.00				
12. Audit Fee						
13. Advances :		4,000.00				
(i) Festival		1,100.00				
(ii) Bi-Cycle		6,185.00				
14. Deposit of Income Tax		2,519.00			6,58,745.88	
15. Deposit of Professional Tax					<u>6,58,745.88</u>	

C/O

R E C E I P T S

Rs. P. Rs. P.

B/F 59,06,516.17

IV. Miscellaneous Receipts :

1. Bank Interest	74,884.99		
2. Sale proceeds of old papers	54.00		
3. Refund of T.A. (Staff)	2,130.60		
4. " of Leave Salary	331.75		
5. " on Account of Seminar	400.00		
6. " of Cost of Calculators etc.	307.25		
7. Receipt of Advertisement Charge for Souvenir	6,875.00		
8. Other Misc. Receipts	653.20		85,636.79

V. RRRLF (Employees) CPF. Account :

1. Opening Balance :

Cash in hand	—	
Cash at bank	1,67,916.00	1,67,916.00

2. Contribution etc.

(i) Employees subscription	23,483.28	
(ii) Refund of advance	12,561.00	
(iii) Foundation's contribution to C.P.F.	17,186.00	
(iv) Foundation's Contribution towards payments of interest & bonus	14,029.34	
(v) Interest received from bank (Saving A/c)	3,004.38	70,264.00
C/O		62,30,332.96

P A Y M E N T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F			6,58,745.88	
II. Promotion of Library Services : <i>(Continuing Schemes)</i>				
1. Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials.				
(i) Strengthening of Dist. & Sub-div. Libraries	2,73,484.25			
(ii) Assistance to Rural Libraries	30,44,691.68			
(iii) Assistance to Centrally Sponsored libraries	36,415.20			
(iv) Assistance to State-Dist. Libraries through Central Selection of books	4,03,068.79			
2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Service	11,770.74			
3. Assistance to old and well-established libraries towards processing (Cataloguing & Classification) Binding & Preservation of out-of-Print books and of rare manuscripts	4,000.00			
 <i>(New Schemes) :</i>				
4. Assistance to libraries towards storage of books	1,80,850.00			
5. Assistance towards organisation of Seminar, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions etc.	14,027.15			
6. Refund of Security Deposits	1,573.67		39,69,881.48	
 III. Other Promotional Activities :				
1. Meeting	11,182.00			
2. Special library	10,325.58			
3. Publications	31,328.66			
4. Refund of advertisement charge	250.00		53,086.24	
			<hr/> 46,81,713.60	

C/O

R E C E I P T S

Rs. P. Rs. P.

B/F

62,30,332.96

Grand Total : 62,30,332.96

P A Y M E N T S

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F			46,81,713.60	

IV. Capital Expenditure :

1. Furniture and equipments	4,250.00		
2. Construction of office building	<u>10,00,300.00</u>		10,04,550.00

V. Closing Balance :

Cash in hand	188.25		
Cash at bank (Current A/c & Savings A/c)	<u>3,05,201.11</u>		3,05,389.36
Permanent advance (imprest)			500.00

VI. RRRLF (Employees) C.P.F. Account :

1. Advance to employees		19,252.00
2. Closing Balance :	—	
Cash in hand		
Cash at bank (including investment)	<u>2,18,928.00</u>	2,18,928.00

Grand Total : 62,30 332.96

(ii) Income and Expenditure Account for

EXPENDITURE

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Administration :				
1. Pay and Allowances of Staff	4,08,619.43			
2. Travelling Allowances of Staff	27,586.10			
3. Medical and other allowances of Staff	9,727.00			
4. Travelling Allowances of non-official members of the Foundation, Administrative committee etc.	51,906.30			
5. Rent of building	28,368.00			
6. Other charges	71,631.97			
7. Leave Salary and Pension Contribution	9,486.00			
9. Foundation's Contribution to C.P.F.	12,254.09			
10. Foundation's Contribution towards payment of interest and bonus	17,186.00			
11. Staff welfare	14,029.34			
12. Audit Fee	5,000.00			
	5,775.00		6,61,569.53	
II. Promotion of Library Services : (Continuing Schemes)				
Assistance paid by way of purchase and distribution of books (Dist., Rural, Central Section and Centrally sponsored schemes)	37,58,159.92			
Assistance for organisation of Mobile Library Service etc.	11,770.74			
<i>Less Clearance of old liabilities during the year</i>	<hr/> 37,69,930.66			
<i>Add Outstanding liabilities during the year</i>	2,81,432.35			
C/O	<hr/> 59,280.20		35,47,778.51	
			<hr/> 42,09,348.04	

the year ending on 31st March, 1984

INCOME

	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Contribution Received from the Governments :						
(a) State Govts.			18,04,000.00			
Central Govts.	32,61,000.00					
<i>Less Fund Capitalised for Capital Expenditure</i>	<u>10,14,500.33</u>		<u>22,46,499.67</u>		40,50,499.67	
II. Miscellaneous Receipts :						
(1) Sales proceeds of old papers etc.			54.00			
(2) Interest on Cycle advance			84.00			
(3) Other receipts			<u>653.20</u>		791.20	
					74,884.99	
III. Interest received from bank					3,15,784.99	
VI. Excess of Expenditure over Income						
						44,41,960.85

EXPENDITURE

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F				42,09,348.04
Assistance to old and well established libraries towards processing (Cataleguing and Classification), Binding and Preservation of out-of-print books and of rare manuscripts.				4,000.00
(<i>New Schemes</i>)				
Assistance to libraries towards Storage of books				1,80,850.00
Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions				13,627.15
III. Other Promotional Activities :				
(1) Meeting	11,182.00			
(2) Publications	22,953.66			34,135.66

Grand Total : 44,41,960.85

I N C O M E

Rs.	P.	Rs.	P.
-----	----	-----	----

44,41,960.85

B/F

Grand Total : 44,41,960.85

LIABILITIES

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Capital Fund :				
As per last account	16,40,012.12			
<i>Less excess of expenditure over Income</i>	<hr/> 3,15,784.99			
	13,24,227.13			
<i>Add fund capitalised</i>	<hr/> 10,14,500.33		23,38,727.46	
II. Outstanding Liabilities :				
As per last account	4,91,124.76			
<i>Less clearance during the year</i>	<hr/> 2,81,432.35			
	2,09,692.41			
<i>Add outstanding liabilities during the year</i>	<hr/> 59,280.20		2,68,972.61	
III. Security Deposit :				
As per last account	2,073.67			
<i>Less refund during the year</i>	<hr/> 1,573.67		500.00	
IV. Souvenir Account :				
Adv. charges received in 1982-83	1,250.00			
<i>Less Amount transferred to publication A/c.</i>	<hr/> 1,250.00		—	
V. RRRLF (Employees) C.P.F. Account :				
As per last account	1,67,916.00			
<i>Add during the year</i>	<hr/> 70,264.00			
	2,38,180.00			
<i>Less withdrawal during the year</i>	<hr/> 19,252.00		2,18,928.00	
C/O			<hr/> 28,27,128.07	

31st March, 1984

A S S E T S

Rs. P. Rs. P.

I. Furniture and Equipments :

As per last account	1,41,014.40		
Add during the year	4,250.00		
	<hr/>		
	1,45,264.40		
	307.25		1,44,957.15
Less Return during the year		<hr/>	

II. Land and Building :

<u>Land</u>	80,768.45	
As per last account	—	80,768.45
Add during the year		<hr/>

<u>Building-Advance for Cons. of</u>		
As per last account	10,00,000.00	
Add during the year	10,00,300.00	20,00,300.00
(Bldg. in progress)		<hr/>

III. Staff Car : 29,111.85 29,111.85

As per last account	—
Add during the year	

IV. Special Library : 20,541.68
10,325.58
30,867.26 30,799.26

As per last account	
Add during the year	

Less loss during the year	68.00
---------------------------	-------

V. Deposits :

<i>Post & Telegraph Deptt.</i>		
As per last account	15,000.00	
Less cleared during the year	5,640.00	9,360.00
	<hr/>	

<i>Land Lord (Rent and Building)</i>	4,500.00
--------------------------------------	----------

As per last account	
---------------------	--

<i>Caution Money</i>	100.00
----------------------	--------

As per last account	
---------------------	--

LIABILITIES

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F			28,27,128.07	

Grand Total : 28,27,128.07

Sd/- S. BASU
Accountant

Sd/- N. K. CHAUDHURI
Executive Officer

Sd/- B. P. BARUA
Director

ASSETS

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F			22,99,896.71	
VI. Advances :				
<i>Festival</i>	1,600.00			
As per last account	4,000.00			
Add during the year	<hr/> 5,600.00			
<i>Less refund during the year</i>	4,000.00		1,600.00	
<i>Bi-Cycle</i>	308.00			
As per last account	1,100.00			
Add during the year	<hr/> 1,408.00			
<i>Less refund during the year</i>	594.00		814.00	
VII. RRRLF (Employees) CPF Account				
Closing Balance :				
Cash in hand	—			
Cash at Bank	2,18,928.00		2,18,928.00	
(including investment)				
VIII. Closing Balance :				
Cash in hand	188.25			
Cash at Bank	3,05,201.11		3,05,389.36	
IX. Cash Balance with Imprest Holder			500.00	
			Grand Total : 28,27,128.07	

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and Balance Sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation for the year ending 31st March 1984 including those relating to Employees Provident Fund for the year ending 31st March 1984, I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observation in the appended Audit Report, I Certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the organisation according to the best of information and explanation given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation.

Place : Calcutta

Dated : 21.11.84

Sd/- J. S. Mathur
Director of Audit,
Central, Calcutta

STATEMENT OF LIBRARIES ASSISTED AT VARIOUS LEVELS DURING 1983-84

Orissa	13	—	300	—	10	1	—	325
Punjab	1	11	—	—	8	—	20	
Rajasthan	1	29	10	—	1	—	—	41
Sikkim	—	4	—	—	—	—	—	4
Tamil Nadu	—	13	—	200 +*	19	—	—	225 +*
Tripura	1	3	—	—	—	—	—	23
Uttar Pradesh	1	54	—	120 +*	—	—	1	176 +*
West Bengal	1	22	—	*	20	—	2	45 +*
Andaman & Nicobar	1	—	—	—	—	1	—	2
Arunachal Pradesh	1	9	—	—	—	2	—	12
Chandigarh	1	—	—	—	—	—	1	2
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	—	1	—
Delhi	—	—	—	—	—	—	—	1
Goa, Daman & Diu	1	—	—	—	—	—	—	1
L. M. & A. Islands	1	—	—	—	—	—	—	1
Mizoram	1	2	—	—	21	—	—	24
Pondicherry	1	2	—	14	—	—	—	17
TOTAL	27	383	208	2673	20	37	21	3369

* List of libraries not received.


STATEMENT OF NUMBER OF LIBRARIES COVERED FROM 1972-73 TO 1983-84

Name of the State	S.C.L.	D.L. & Div.	S.D.L. & T.R.L.	B.D.C.	N.Y.K.	J.B.B.	Others	Total
Andhra Pradesh*	1	27	—	852	620	14	1	1515
Assam	1	10	11	115	—	4	3	144
Bihar*	1	31	24	1624	—	13	1	1694
Gujarat	1	18	—	1059	11	5	1	1095
Haryana	1	5	—	44	—	2	6	58
Himachal Pradesh	1	11	—	36	—	5	1	54
Jammu & Kashmir	1	14	5	2	—	1	1	24
Karnataka	1	19	175	1909	—	8	7	2119
Kerala	1	11	—	1072	—	8	4	1096
Madhya Pradesh	1	29	20	2005	—	11	2	2068
Maharashtra	1	39	195	1400	1	2	7	1645
Manipur	1	5	—	44	—	2	—	52
Meghalaya	1	2	—	—	—	1	—	4
Nagaland	1	—	56	—	—	—	—	57
Orissa	1	13	—	824	130	10	2	116
								1096

Punjab	1	11	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17
Rajasthan	1	29	9	—	—	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	64
Sikkim	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Tamil Nadu	—	13	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	1481
Tripura	1	3	10	18	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
Uttar Pradesh	1	56	—	589	—	28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	675
West Bengal*	1	22	—	2295	107	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2439
Andaman & Nicobar	1	—	—	25	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	27
Arunachal Pradesh	1	9	—	20	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	32
Chandigarh	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Dadra & Nagar Haveli	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
Goa, Daman & Diu	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	48
L. M. & A. Islands	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	11
Mizoram	1	2	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	45
Pondicherry	1	2	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	57
TOTAL	28	386	506	15550	879	163	48	116	17676								

* Figures related upto 1981-82.

**CHART SHOWING QUANTUM OF EXPENDITURE
UNDER DIFFERENT SCHEMES DURING 1983-84**




राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

द्वादश

वार्षिक प्रतिवेदन

1983-84



110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता-700 068

दिसम्बर 1984

प्रकाशनाधिकार

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

110, जोधपुर पार्क

कलकत्ता-700 068

डॉ बी० पी० बरुआ, सदस्य-सचिव, राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान, 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता द्वारा
प्रकाशित तथा मेहता फाईन आर्ट प्रेस, 20, बाल मुकुन्दर मञ्चकर
रोड, कलकत्ता-700 007, फोन : 34-1247 द्वारा मुद्रित।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक प्रतिवेदन

1983-84

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय एक : परिचय	1
अध्याय दो : पुस्तक सहायता	4
अध्याय तीन : वित्तीय सहायता	11
अध्याय चार : प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ	13
अध्याय पाँच : प्रशासन	16
अध्याय छः : उपमंहार	20

परिशिष्ट

1. प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची	24
2. प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची	29
3. राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची	32
4. संगठन सारिणी	39
5. वर्ष 1983-84 के दौरान पुस्तक संचयन हेतु दी गई महायता राशि का विवरण	40
6. वर्ष 1983-84 के दौरान दी गई सहायता राशि का विवरण	41

7. 1983-84 के परीक्षित लेख का विवरण	43
8. वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या विवरण	56
9. वर्ष 1972-73 से 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या का विवरण	58
10. वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का अनुपात	60

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन

1983-84

अध्याय-एक

परिचय

यह राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के बारहवें वर्ष के क्रिया-कलापों का प्रतिवेदन है। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्विशती जन्म-जयन्ती समारोह के अवसर पर मई 1972 में की गई थी। प्रतिष्ठान शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसकी स्थापना देश भर में पुस्तकालय आनंदोलन के समर्थन एवं संबद्धन के लिए की गई है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य संगठनों की सहायता से लोगों को पुस्तकालीय सहायता उपलब्ध कराना प्रतिष्ठान का प्रधान उद्देश्य है। प्रतिष्ठान पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1961 के अन्तर्गत निबंधित है।

संवैधानिक रूप से पुस्तकालय तथा विशेष रूप से सर्वजनिक पुस्तकालय राज्य सरकारों के अन्तर्गत होते हैं। भारत में 22 राज्य तथा 9

केन्द्र-शासित क्षेत्र हैं और इनमें से प्रत्येक आकार, जनसंख्या, साक्षरता-प्रतिशत, आर्थिक विकास तथा सामाजिक-सास्कृतिक वातावरण में एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए पुस्तकालय सेवा स्वाभाविक रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में गुण एवं मात्रा दोनों रूपों में भिन्न होगी। जिन पाँच बड़े-बड़े राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जा चुका है, यथा-तमिलनाडु (1984), आन्ध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967), तथा पश्चिम बंगाल (1979) में पुस्तकालय सेवा अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संवृद्धि पाई गई है। दूसरी तरफ कुछ अपेक्षाकृत छोटे राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में भी प्रशासनिक उपायों द्वारा उत्तम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में असम, त्रिपुरा और पाण्डिचेरी का उल्लेख किया जा सकता है जहाँ सरकार / प्रशासन ने छोटी प्रशासकीय इकाइयों में भी पुस्तकालय स्थापित करने और चलाने के लिए कदम उठाये हैं। दिल्ली, दिल्ली सर्वजनिक पुस्तकालय जहाँ कि पुस्तकालय सेवा का मेरुदंड है, को अन्य विष्टकोण से देखना होगा। फिर भी, अधिकतम राज्य स्वच्छक संस्थाओं को अनुदान देने की प्रणाली के माध्यम से पुस्तकालय सेवा को बढ़ाने को अधिक सुविधाजनक मानते हैं। केरल और गुजरात इस वर्ग के राज्यों के उत्तम उदाहरण हैं। प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने वाले राज्यों में से अनेक ने प्रतिवेदित वर्ष के दौरान भी प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रशासनिक सीमाओं के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश सहायता का उपयोग करने में असफल रहे। अथवा चेष्टाओं के बावजूद भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लिए कुछ गैकल्पिक रूप से नहीं किया जा सका। दूसरी ओर, उड़ीसा ने अपने ग्रामीण पुस्तकालयों को समर्थन देने में बड़ा उत्साह दिखाया। प्रतिष्ठान का स्त्रोत जो हैं, उसके अनुरूप प्रतिष्ठान ने इस वर्ष के दौरान सहायता का संतुलित स्तर बनाए रखा।

प्रतिष्ठान देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदान देने वाली संस्था के रूप में ही कार्य नहीं करता, साथ ही साथ यह पुस्तकालय सेवाओं के पारिमाणिक विकास करने सम्बंधी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति भी सजग है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान ने कुछ कार्यक्रमों का प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संचालन किया। कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालयों से सम्बन्धित प्रायोगिक सर्वेक्षण, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, वह प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पूरा हो गया। अन्य क्षेत्रों में विकसित इस राज्य में ग्रामीण पुस्तकालय के क्षेत्र में व्याप सीमाओं और कमजोरियों का कुछ पता इस सर्वेक्षण से लग पाया है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के उपर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप भी इस अवधि में अन्तिम सोपान तक पहुंचा। शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन के राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली की सहयोगिता में सप्तम पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में एक ओरियन्टेशन सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य राज्य एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों की पुस्तकालय सेवाओं के वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षण देना था। विभिन्न मंचों से पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया। कलकत्ता में प्रतिष्ठान के कार्यालय भवन के निर्माण की परियोजना प्रारंभ की गई। संक्षेप में, यह वर्ष इस बात का साक्षी है कि प्रतिष्ठान ने राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए फलप्रद योगदान किया।

अध्याय-दो

पुस्तक सहायता

पुस्तक और पाठक पुस्तकालय सेवा के दो मुख्य तत्व हैं इसलिए षष्ठीय योजना के दौरान प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों के लिए पुस्तक सहायता कार्यक्रम जारी रखने का निश्चय किया है। यह सहायता निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है :—

1. पुस्तकों तथा पठन एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता ।
2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए सहायता ।
3. पुस्तकों तथा पठन एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का प्रर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता :

किसी भी पुस्तकालय को गुणवत्ता उस पुस्तकालय के पुस्तक भण्डार की सम्पन्नता तथा उससे लाभान्वित होने वाले पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि समय समय पर पुस्तक भण्डार का नवीकरण कर उसके भण्डार को बढ़ा दिया जाये तो पुस्तकालय का काफी विकास होता है। लेकिन पुस्तकालयों की घटती हुई वित्त व्यवस्था और पुस्तकों की बढ़ती हुई कीमतों के

कारण पुस्तकालयों के लिए पाठकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। कुछ राज्यों को अपवाद मान लिया जाये तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न स्त्रोतों से जितने अर्थ की व्यवस्था हो पाती है वह सब कर्मचारियों के वेतनादि में खर्च हो जाता है। इसलिए प्रतिष्ठान ने कुछ प्रमुख योजनाओं को जारी रखने का निश्चय किया है जिससे पुस्तकालय अपने पुस्तक भण्डार को सुदृढ़ बना सकें।

इस योजना के तहत दो रूपों से सहायता प्रदान की जाती है : समतुल्य रूप से तथा केन्द्रीय रूप से। जहाँ तक समतुल्य सहायता का सम्बन्ध है इसमें पुस्तकों के चयन, क्रय एवं वितरण का दायित्व राज्य के अधिकारियों के ऊपर होता है, और जहाँ तक केन्द्रीय रूप से सहायता का प्रश्न है, पुस्तकों की खरीद तथा आपूर्ति का दायित्व प्रतिष्ठान का है।

समतुल्य पुस्तक सहायता

इस बड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्रशासित क्षेत्र की राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा राज्य पुस्तकालय समिति सहायता प्रस्तावों को तैयार करती है। यह समिति ही पुस्तकों की सूची तथा अनुदान पाने वाले पुस्तकालयों की सूची तैयार करती है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान ने विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने इन समितियों को यह सलाह देकर ऐसी पुस्तकों का चयन वर्जनीय माना है जिनमें ऐसी उत्तेजक टिप्पणियाँ या संदर्भ हो जिसके कारण साम्राज्यिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो।

राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा जब एकबार पुस्तकों तथा सहायता पाने वाले पुस्तकालयों की सूची का अनुमोदन हो जाता है तभी क्रय एवं वितरण के लिए आगे आर्वाई की जाती है। कुछ राज्यों, जैसे—1. आन्ध्र प्रदेश, 2. असम, 3. बिहार, 4. गुजरात, 5. कर्नाटक, 6. केरल, 7. महाराष्ट्र,

8. मिजोरम, 9 उडीसा, 10. पाण्डिचेरी, 11. पंजाब, 12. तमिलनाडु,
 13. त्रिपुरा और 14. उत्तर प्रदेश ने पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के
 दायित्व जारी रखा। जिन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के पास पुस्तकों
 की आपूर्ति का आदेश देने तथा प्रकाशकों आदि के बिलों का निरीक्षण करने
 के लिए पर्याप्त जनशक्ति तथा साधन नहीं हैं, प्रतिष्ठान उनके लिए यह कार्य
 कर रहा है। प्रथमोक्त कोटि के राज्यों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान
 आदेश की प्रतियों तथा राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों द्वारा
 प्रमाणित बिलों की प्राप्ति पर किया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा आदेश दिये
 जाने पर प्रकाशकों को 75 प्रतिशत का भुगतान पुस्तके भेजे जाने के प्रमाण
 पत्र प्रस्तुत करने पर तथा शेष राशि का भुगतान पावती मिलने के बाद
 किया जाता है।

पाठकों एवं पुस्तकालयों के ढाँचे के अधार पर समतुल्य पुस्तक सहायता
 योजना को निम्नलिखित उपभागों में बाँटा गया है : - (अ) राज्य केन्द्रीय
 पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता, तथा (ब) शहरी तथा
 ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता।

(अ) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को पुस्तक
 सहायता :

प्रायः समस्त राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों
 की स्थापना की जा चुकी है। दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली सार्वजनिक
 पुस्तकालय (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी) द्वारा सुलभ है। तमिलनाडु का
 राज्य-पुस्तकालय जिसे “कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय” के नाम से जाना
 जाता है तथा महाराष्ट्र के एम. एस. टाउन हाल पुस्तकालय को “डेलीवरी
 आफ वुक्स एक्ट” के अन्तर्गत पुस्तके प्राप्त हैं। कठिपय राज्यों, यथा
 1. आन्ध्रप्रदेश, 2. बिहार, 3. मध्यप्रदेश, 4. महाराष्ट्र और 5. राजस्थान
 में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी हैं। जिला पुस्तकालयों की स्थापना अधिकांश जिलों

में की जा चुकी है। कुछ राज्यों में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय ही उनजिलों में जिला पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनमें वे अवस्थित हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा क्षेत्रीय पुस्तकालयों को सामान्य तथा सरकारी पुस्तकालय के रूप में ही जाना जाता है। फिर भी, गुजरात विद्यापीठ, बिहार का सिन्हा पुस्तकालय तथा मध्य प्रदेश का मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। इसी प्रकार कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं तथा कुछ सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालय हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा 383 जिला पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की। 2·73 लाख रुपये की पुस्तकों की आपूर्ति इन पुस्तकालयों को की गई।

(ब) शहरी तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता :

जिला पुस्तकालय से नीचे के स्तर वाले पुस्तकालयों का संगठनात्मक ढाँचा समस्त राज्यों में समरूप नहीं है। ये बहुधा प्रशासनिक एकल के रूप में भी कार्य नहीं करते हैं। साधारणतया दक्षिण में इन्हें शाखा पुस्तकालय पश्चिम में ताल्लुक पुस्तकालय उत्तर में तहसील पुस्तकालय तथा पूरब में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इसके नीचे स्तर पर प्रखण्ड, नगरपालिका, शहरी तथा ग्रामीण पुस्तकालय आते हैं। इनमें से बहुत से पुस्तकालय गंर सरकारी पुस्तकालय हैं जो पंजीकृत या स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा संचालित किये जाते हैं। अनुदान देने के उद्देश्य से पुस्तकालयों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। चूँकि प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य नगरों तथा गाँवों तक पुस्तकालय सेवा को पहुंचाना है, इस प्रकार के लघु पुस्तकालयों की सहायता पर अधिक बल दिया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 30 45 लाख रुपये की सहायता उन शहरी तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को दी, जिनका स्तर जिला पुस्तकालयों से नीचे था।

प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता

समतुल्य सहायता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान सीमित आधार पर कुछ विशेष कोटि के पुस्तकालयों को अपने विधि स्त्रोतों से प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले पुस्तकालयों की कोटि निम्नलिखित है :— (अ) केन्द्रीय रूप से पोषित पुस्तकालय, नेहरू युवक केन्द्र, जवाहर बाल भवन आदि तथा (ब) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला पुस्तकालय को, केन्द्रीय रूप से मुख्यतः अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें।

(अ) केन्द्र-पोषित पुस्तकालयों को सहायता :

केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने अपने युवक सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में गैर विद्यार्थी युवक (जो 15 से 35 वर्ष की आयु के हों) के कल्याण के लिए नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की है नेहरू युवक केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण युवक कलब के माध्यम से पुस्तकालय सेवा को आगे बढ़ायेंगे। प्रतिष्ठान इन केन्द्रों द्वारा गठित पुस्तकालय सेवा को प्रोत्साहन देता है। भारत की बाल भवन सोसाइटी द्वारा सम्पोषित जवाहर बाल भवन देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। समाज कल्याण विभाग ने महानगरों की वस्तियों एवं झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए अरविन्द बाल केन्द्रों का गठन किया है। इस योजना के अन्तर्गत उन स्वयंसेवी संस्थानों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा अनुशंसित या इससे सम्बन्ध है। इस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने 37 नेहरू युवक केन्द्रों तथा 21 जवाहर बाल भवनों एवं बाल केन्द्रों को सहायता प्रदान की।

(ब) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष सहायता :

विभिन्न राज्यों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का चयन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति द्वारा भी मुख्यतया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तकालयों के लिए किया जाता है। प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति ने पुस्तकों के केन्द्रीय क्रय के लिए निर्देशों को भी अपनाया है। इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 378 पुस्तकों, तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय एवं जिला पुस्तकालय दोनों के लिए 49 पुस्तकों का चयन किया। इस योजना के अन्तर्गत 4.03 लाख रुपये की पुस्तक सहायता प्रदान की गई।

2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु सहायता :

यदि पुस्तकालय सेवाओं से गाँवों और छोटे शहर में बसने वाले बहुसंख्य अद्वैशिक्षितों और नवसाक्षार को लाभान्वित करना है तो इस प्रकार के उपाय करने होंगे जिनसे सरल भाषा और शैली में लिखी गई सामान्य विषय अभिरुचि की पुस्तकों को उनके द्वार तक पहुंचाया जा सके। समाज कल्याण से सम्बंधित गतिविधियों में लीन सभी सुस्थापित पुस्तकालयों यथा-ख्याति प्राप्त स्वैच्छक संगठन को इस सेवा के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत पुस्तकें, साईकिलें, रिक्शें, बक्सें तथा ठैलों आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्राप्त संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ अभी तक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है, में परिवहन के सस्ते साधन अथवा स्वयंसेवकों के द्वारा वे एक वितरण केन्द्र से दूसरे वितरण केन्द्र तक पुस्तक का आदान-प्रदान करते रहेंगे। जिन गाँवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहाँ पुस्तक वितरण केन्द्रों की स्थापना की

जाती है या की जा सकती है। यदि गाँव में इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा पहुंच गई हो तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में संलग्न कार्यकर्ताओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रत्येक द्वार पर पुस्तकालय सेवा का आयोजन किया जा सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत सम्बंधित राज्य सरकार की अनुशंसा पर किसी संस्था अथवा स्वैच्छिक संगठन को समतुल्य सहायता दी जाती है। परन्तु यह योजना केन्द्रीय रूप से पोषित पुस्तकालयों द्वारा भी चलाई जाती है जिन्हें प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष सहायता देता है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने इस योजना के तहत 20 केन्द्रों में पुस्तकालय गतिविधियों के प्रसार के लिए विश्व-भारती विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की।

यह योजना गाँव तथा सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले समाज के सुविधाहीन वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है जहाँ तक नियमित पुस्तकालय सेवा को पहुंचाना कठिन है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि अहमदाबाद के दृष्टिहीन संघ (ब्लाइन्डमेन्स एसोसिएशन) को इस समतुल्य योजना के अन्तर्गत ब्रेले-साहित्य के प्रकाशन के लिए दश हजार रुपये का विशेय अनुदान दिया गया।

अध्याय--तीन

वित्तीय सहायता

पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देने की तीन योजनाएँ हैं जिनके तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :—

1. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी एवं परिरक्षण हेतु सहायता ;
 2. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता ;
 3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता ।
1. दुर्लभ पुस्तकों, प्रतिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी एवं परिरक्षण हेतु सहायता :

प्रतिष्ठान ने इस योजना को 1975-76 में अपनाया । इस योजना का उद्देश्य देश के पुराने एवं संस्थापित पुस्तकालयों को पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों के वायु-शुद्धिकरण, परतबन्दी, जिल्दसाजी तथा परिरक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है । प्रतिष्ठान ऐसी दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों को कुछ ऐसे चुने हुए पुस्तकालयों द्वारा संकलित एवं परिरक्षित करने की अनुशंसा करता है जिनमें संरक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हों । फिर भी, कुछ पुस्तकालय अपनी सम्पदा से वंचित रहना पसन्द नहीं करते । अतः विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की सिफारिश पर बहुत से सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता

देने की आवश्यकता है। प्रतिवेदित वष के दौरान प्रतिष्ठान ने 6 पुस्तकालयों को पाँच-पाँच हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रतिष्ठान ने अबतक इस योजना के तहत 438 पुस्तकालयों पर 8.55 लाख रुपये का व्यय किये हैं।

2. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक-प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता :

इस योजना का उद्देश्य सेवारत पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाना एवं लोगों में पठन-रुचि पैदा करना है। राज्य सरकारों के विभागों / विदेशालयों / राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों और पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध है। वर्ष 1983-84 के दौरान प्रतिष्ठान ने भारतीय पुस्तकालय संघ को दिसम्बर 1983 में मैसूर में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के चौबीसवें आयोजन तथा स्वर्ण जयंती आयोजन के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सम्बलपुर विश्वविद्यालय को उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालय योजना पर संगोष्ठी के आयोजन के लिए तीन हजार रुपये की राशि जारी की गई।

3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता :

यह एक नवीन योजना है जिसे वर्ष 1979-80 में आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई पुस्तकों की बढ़ती हुई संख्या को सुरक्षित रखने तथा प्रदर्शन के लिए सहायता देना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान राज्य सरकारों की सिफारिश पर पुस्तकालयों को प्रतिवर्ष दो आलमारियों/रैंकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल, उड़ीसा और मिजोरम के लगभग 324 पुस्तकालयों के लिए सहायता की स्वीकृति दी।

अध्याय--चार

प्रोत्तिकारक गतिविधियाँ

1. राजा राममोहन राय के 211 वें जन्म जयंती समारोह एवं प्रतिष्ठान के ग्यारहवें स्थापना दिवस का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय के 211 वें जन्म जयंती समारोह एवं प्रतिष्ठान के ग्यारहवें स्थापना दिवस-समारोह को 24 मई, 1983 को मनाया। प्रतिष्ठान स्थापना दिवस के अवसर पर श्री सतीश चन्द्र ने “भारतीय संस्कृति में एकता, गतिशीलता और गतिहीनता” विषय पर भाषण दिया। समारोह की अध्यक्षता प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री मोहन मुखर्जी ने की।

यह सभा प्रतिष्ठान के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी की गई थी। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने “ए डिकेड आँफ द फाउन्डेशन” शीर्षक स्मारिका का भी विमोचन किया।

पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता स्थित अन्य सांस्कृतिक संगठनों सहित प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय को उनकी 150 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

ब्रिटिश भारतीय संघ तथा राजा राममोहन राय स्मारक न्यास, लन्दन के तत्वाबधान में 24-29 सितम्बर, 1983 तक लन्दन में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठान ने राजा जी के पंतृक गृह एवं अन्य व्यक्तिगत सामग्रियों के फोटो भेजे।

2. कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का प्रायोगिक सर्वेक्षण :

प्रतिष्ठान द्वारा सम्पोषित कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का प्रायोगिक सर्वेक्षण, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था, प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पूरा हुआ।

3. पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति :

कार्यकारी दल ने अपनी 6 जनवरी, 1984 को हुई बैठक में प्रतिष्ठान के निदेशक डॉ. बी. पी. बरुआ द्वारा तैयार किये गये पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति से सम्बंधित प्रारंभिक प्रारूप पर विचार किया। आशा की जाती है कि यह प्रलेख अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूरा हो जाएगा।

4. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासकों के लिए योजना एवं व्यवस्थापक के ऊपर ओरियन्टेशन सेमिनार का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (नेपा), नई दिल्ली, की सहयोगिता से 6-10 फरवरी, 1984 के बीच एक ओरियन्टेशन सेमिनार का आयोजन किया। 16 राज्यों, यथा-आन्ध्र-प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा तथा 4 केन्द्रशासित क्षेत्र, यथा-पाइडचेरी, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 30 वरिष्ठ पुस्तकालय/प्रशासकों ने सेमिनार में भाग लिया।

इस सेमिनार का उद्देश्य भाग लेने वालों को निम्नलिखित बातों की जानकारी देना था :—

1. राष्ट्रीय विकास एवं नवनिर्माण के कार्यक्रमों में पुस्तकालय सेवा का योगदान ;
2. पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था एवं नियोजन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ;

3. पुस्तकालय विकास के विभिन्न नमूने, 4 तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली तथा जन-संचार के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का सम्पर्क एवं तालमेल ।

संगोष्ठी में तीन मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत बारह अनुशंसाएँ की गई :—

- (अ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के विकास से सम्बंधित परियोजनाएँ एवं नीति ;
- (ब) औपचारिक तथा अनोपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली का सम्पर्क एवं तालमेल ।
- (स) सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था एवं प्रशासन ।

5 संस्थागत सदस्यता

प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित संस्थाओं की संस्थागत सदस्यता को जारी रखा :

- (1) इन्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आई, एल ए)
- (2) इन्डियन एसोसिएशन आफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फोरमेशन सेन्टर्स (आइसलिक)
- (3) इन्टरनेशल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एण्ड इन्स्टीच्यूशन (इफला)

6. प्रतिष्ठान का पुस्तकालय :

प्रतिष्ठान के कार्यालय में वर्ष 1981-82 के दौरान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर विशेष पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 234 पुस्तकें थीं।

7. विशेष सहायता :

प्रतिष्ठान कभी-कभी अपने साधारण भण्डार से केन्द्रीय चयन के अन्तर्गत नमूने की प्रति के रूप में कार्यालय में विचाराधीन प्राप्त पुस्तकों को ख्यातिप्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रदान करता है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 156 पुस्तकें राममोहन पुस्तकालय व निशुल्क वाचनालय, कलकत्ता को प्रदान की।

अध्याय-पाँच

प्रशासन

1. प्रतिष्ठान :

प्रतिष्ठान के 22 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष भारत के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति हुआ करते हैं।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की दो बैठकें हुईः पहली 24 मई 1983 को कलकत्ता में और दूसरी 5 अक्टूबर 1983 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में।

(प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट—I देखें)

2. प्रशासनिक समिति :

प्रतिष्ठान के कार्यों का सम्पादन एक प्रशासनिक समिति द्वारा किया जाता है। पदेन सदस्यों, यथा—अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि और सदस्य सचिव को मिलाकर इसके र्घारह सदस्य हैं। प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों को देखती है। प्रतिष्ठान की तीन बैठकें इस वर्ष के दौरान हुईः पहली 23 मई 1983 को, दूसरी 7 जनवरी 1984 को कलकत्ते में, और तीसरी 4 अक्टूबर 1983 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में।

(प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट—II देखें)

3. राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ/राज्य पुस्तकालय समितियाँ :

राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ / राज्य पुस्तकालय समितियाँ ऐसी

प्रमुख एजेन्सी है जिसके माध्यम से प्रतिष्ठान किसी राज्य अथवा केन्द्रशासित क्षेत्र में कार्य करता है। ये समितियाँ न केवल राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के प्रचार तथा विकास के लिए योजना बनाती हैं, बल्कि इनसे यह भी आशा की जाती है कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनायी गई विभिन्न सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन तथा निरीक्षण भी ये समितियाँ कर सकेगी। इनसे यह भी आशा की जाती है कि ये विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय सेवा के विकास में योगदान देने वाली अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल रखने वाली एजेन्सी के रूप में भी कार्य करेंगी। राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी चाहिए। राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ/राज्य पुस्तकालय समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं :—

- (क) प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों के विशिष्ट संदर्भ में अपने राज्य में, विशेषकर गैर महानगरीय क्षेत्रों में, पुस्तकालय सेवाओं की एक वार्षिक एवं परिवृश्य योजना तैयार करना ;
- (ख) इस बात को निश्चित करना कि राज्य सरकार के अंशदान का प्रतिष्ठान को भुगतान हो जाये और प्रतिष्ठान से समतुल्य अनुदान ले लिया जाये ;
- (ग) सहायता प्रस्तावों की जाँचकर उन्हें प्रतिष्ठान को अनुशंसित करना ;
- (घ) समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार एवं प्रतिष्ठान द्वारा नियत निर्देशों के अनुरूप पुस्तकों का चयन करना ।
- (च) प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता राशि के सदुपयोग को निश्चित करना ;
- (छ) सम्मेलनों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर जन सामाज्य में पठन रुचि के विकास का बातावरण तैयार करना ;

(ज) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में पुस्तकालय आनंदोलन के विकास के लिए अन्य प्रेरक एवं सहायता गतिविधियों को निष्पादित करना ।
(राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों की सूची के लिए परिशिष्ट—III देखें)

4. अध्यक्ष :

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य सचिव एवं राज्यपाल के सलाहकार श्री मोहन मुखर्जी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे ।

5. निदेशक तथा अन्य कर्मचारी :

डॉ. बी. पी. बहुआ पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते रहे । भारत सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय से अनुमोदनोपरान्त प्रतिष्ठान ने अपनी संस्था-ज्ञापिका से संस्था के कर्मचारी प्रधान के पदनाम सदस्य-सचिव को निदेशक के रूप में परिवर्तित किया ।

डॉ पाण्डेय सूरजकान्त शर्मा, श्री एन. के चौधरी तथा श्री आर. भट्टाचार्य ऋषेश: क्षेत्र पदाधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सहायक सचिव के रूप में कार्य करते रहे । एक अंशकालिक जमादार को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या 27 थी ।

(प्रतिष्ठान की संगठन सारिणी के लिए परिशिष्ट IV देखें)

6. हिन्दी प्रशिक्षण योजना :

प्रतिष्ठान ने राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया है । साथ ही भारत सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के तहत प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने का भी निश्चय किया है । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के दो कर्मचारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया ।

7. कार्यालय भवन :

प्रतिष्ठान का कार्यालय 110, जोधपुर पार्क कलकत्ता-70068 में एक किराये के भवन में अवस्थित है । वर्तमान स्थान कार्यालय के लिए पर्याप्त नहीं है । प्रतिष्ठान ने पश्चिम बंगाल सरकार से साल्टलेक, कलकत्ता में

18.06 कट्टा (1208 वर्गमीटर) भूमि प्राप्त कर ली है। इस पर दो मंजिले भवन का निर्माण कार्य इस बात को ध्यान में रखकर कि भविष्य में दस तल्ले का निर्माण किया जा सके, पश्चिम बंगाल के महानगर विकास विभाग (साल्ट लेक परियोजना) द्वारा किया जा रहा है।

8. नियम एवं विनियम :

वर्ष के दौरान तीन नियम अपनाये गये :—

(अ) सामान्य भविष्य निधि-सह-पेशन-सह-ग्रेच्यूटी-नियम,

(ब) चिकित्सा सेवा नियम, तथा

(स) प्रतिष्ठान के गैर-कार्यालयीय सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता नियम।

9. प्रतिष्ठान की वित्तीय व्यवस्था :

प्रतिष्ठान की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार करती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 32.61 लाख (4.61 लाख गैर-योजना मद और 28.00 लाख योजना मद) की राशि भारत सरकार से प्राप्त की। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से भी अंशदान प्राप्त किया। यह अंशदान प्रतिष्ठान से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समतुल्य निधि के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु दिया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 10.04 लाख रुपये अंशदान के रूप में प्राप्त किये।

(विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को दी गई सहायता राशि के विवरण के लिए परिशिष्ट—VI देखें)

प्रतिष्ठान के लेखा का परीक्षण केन्द्रीय महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय कलकत्ता के द्वारा किया गया जिसे प्रतिष्ठान ने अपनी मई 22,1984 को हुई वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया।

(परीक्षित लेखा के विवरण 1983-84 के लिए परिशिष्ट—VII देखें।)

अद्याय—छः

उपसंहार

1. समस्यायें तथा अड़चनें :

प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के संपादन के बीच आने वाली समस्याएँ तथा अड़चनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की थी :— (अ) कुछ राज्यों द्वारा सहायता प्रस्तावों को देर से भेजा जाना या नहीं भेजा जाना (ब) पुस्तकों की बढ़ती हुई कीमत, तथा (स) विकेन्द्रीकरण का प्रभाव।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रतिष्ठान को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादित किए गए कार्य वस्तुतः एक ऐसा सम्पूर्ण निष्पादन है जिसके अन्तर्गत भाग लेने वाले राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के कार्यों की प्रतिछिक भी घुलीमिली होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों के कारण जो इसके नियंत्रण से बाहर होती हैं, प्रतिष्ठान लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जसे दो बड़े राज्य अपनी स्वयं की प्रशासकीय समस्याओं के कारण प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं कर पाये। एक अन्य राज्य, पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव बहुत ही विलम्ब से प्राप्त हुआ फलस्वरूप वर्ष के दौरान सहायता प्रदान करने का जो लक्ष्य था, प्रतिष्ठान उससे कुछ पीछे रह गया।

पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकालय सामग्रियों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य ने भी प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

वस्तुतः सहायता की मात्रा पिछले वर्षों घटी है। प्रतिष्ठान पर कई राज्य सरकारें इस बात के लिए दबाव डाल रहीं हैं कि उनके द्वारा भेजी गई अंशदान की राशि से सम्बंधित दो लाख रुपये की उच्चतम सीमा को और भी आगे बढ़ाया जाये। यह दबाव इतना बढ़ गया कि उड़ी सा सरकार ने एकतरफा ही तीन लाख रुपये का वार्षिक अंशदान भेज दिया। अपने सीमित स्रोतों के कारण प्रतिष्ठान को अधिक सहायता की इस प्रकार की मांगों को पूरा करने में अत्यंत कठिनाई होती है।

वर्ष 1982-83 से प्रतिष्ठान ने विकेन्द्रित सहायता की नई पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों को प्रतिष्ठान के पास अनुमोदन के लिए पुस्तकों तथा पुस्तकालयों की सूची भेजने की भी आवश्यकता नहीं। इसका उद्देश्य यह है कि सहायता के उपयोग में शीघ्रता लाई जा सके और इस प्रकार समय बचाया जा सके। पूर्वानुमोदन की पद्धति की बाध्यता को हटाये जाने के पश्चात् भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। बल्कि कुछ राज्य पुस्तकों तथा पुस्तकालयों की सूची को अन्तिम रूप देने के सम्बंध में अधिक असावधान हो गये हैं। इसके फलस्वरूप अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों के बारे में आंकड़े रखना प्रतिष्ठान के लिए कठिन हो गया है और आंकड़े अपूर्ण रह गये हैं।

2. उपलब्धियाँ :

विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक दबावों के बाबजूद भी प्रतिष्ठान देश में पुस्तकालय सेवाओं को विकसित करने में आगे बढ़ा है। अपने प्रतिस्थापना वर्ष 1972 से लेकर मार्च 1984 तक प्रतिष्ठान ने कुल 427.60 लाख रुपये प्राप्त किये जिसमें 247.58 लाख रुपये भारत सरकार से तथा शेष राशि 180.02 लाख रुपये विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त किये गये।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को 39.70

लाख रुपये की सहायता प्रदान की। इस प्रकार विंगत बारह वर्षों की अवधि में सहायतार्थी दी गई राशि 365.82 लाख रुपये तक पहुँच गई।

पिछले बारह वर्षों की अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के लगभग 17,676 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की। विवरण इस प्रकार है :—

राज्य पुस्तकालय	28
जिला पुस्तकालय	386
अनुमण्डलीय/ताल्लुक/तहसील पुस्तकालय	506
नेहरू युवक केन्द्र	163
बाल भवन/बाल केन्द्र	48
शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	15,550
चल पुस्तकालय/ग्रामीण पुस्तक	
संचलन केन्द्र	879
एन एस. एस. केन्द्र तथा अन्यान्य	116
<hr/>	
कुलयोग :	17,676

(वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या के लिए परिशिष्ट—VIII देखें तथा वर्ष 1972-73 से 1983-84 के दौरान वर्षानुसार दी गई सहायता राशि की तालिका के लिए परिशिष्ट—IX देखें)

कुल मिलाकर प्रतिष्ठान का बारहवां वर्ष एक संतोषप्रद वर्ष रहा। यद्यपि सहायता की मात्रा पिछले साल में दी गई सहायता राशि, जो इव्यं में एक कीर्तिमान है, के आकड़ों से आगे नहीं बढ़ पाई, फिर भी, प्रतिष्ठान ने देश की पुस्तकालय सेवा की परिणामात्मक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1 - २०८५४

ਵੇਗ ਦੀ ਸੰਖਾ ਦੀ ਵਾਡਾਵਾ

ਲੋਕ ਸੁਣੋ ।

ਵੇਗ

ਹੈ ਜੇਕੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੈ ॥

ਅਤੇ ਜੇਕੇ

ਵੇਗ ਦੀ ਸੰਖਾ

ਬਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕੇ

ਪਰਿਸ਼ਿਛਟ

ਹੈ ਜੇਕੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੈ ॥

ਅਤੇ ਜੇਕੇ

ਵੇਗ ਦੀ ਸੰਖਾ

ਚੁਪੈ ਹੈ ਜੇਕੇ

ਅਤੇ ਜੇਕੇ

प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची

1. श्री मोहन मुखर्जी

प्रध्यक्ष

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

‘श्यामली’

भवानी सिंह मार्ग

जयपुर-302015

2. डॉ (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन

अतिरिक्त सचिव

भारत सरकार

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

3. श्री मनमोहन सिंह

वित्तीय सलाहकार

भारत सरकार

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

4. प्रो. सी. एल. आनन्द
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
भारत सरकार
शिक्षा एवं संरकृति मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

5. श्री व्ही. पी. मारवाह
संयुक्त सचिव
भारत सरकार
समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

6 श्री कृष्ण कृपलानी
अध्यक्ष
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
ए-5, ग्रीन पार्क
नई दिल्ली

7. (अ) प्रो. पी. बी मंगला (20 दिसम्बर 1983 तक)
अध्यक्ष
भारतीय पुस्तकालय संघ
19/4, कैबेलरी लाइन्स
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर
दिल्ली-110007

7. (ब) श्री गिरजा कुमार (21 दिसम्बर 1983 से)

8. (अ) डॉ, आर. एस. केलकर

सचिव, साहित्य अकादमी

रवीन्द्र भवन

फिरोजशाह मार्ग

नई दिल्ली

(ब) प्रो. इन्द्र नाथ चौधरी (मार्च 1984 से)

9. श्री ए. के. सेन

बी-42. पंचशील इन्क्लेव

नई दिल्ली-110007

10. प्रो. ए. के. जलालुद्दीन

एन. सी. ई. आर. टी.

श्री अरविन्द मार्ग

नई दिल्ली-110016

11. डॉ. रमेश के. अरोड़ा

ग्रन्थापक, लोक प्रसासन

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर-302 004

12. डॉ. सुरजीत सिंहा

निदेशक

समाज विज्ञान एवं अनुसंधान अध्ययन केन्द्र

(मेन्टर फार स्टडीज इन सोसल साइंसेस एण्ड रिसर्च)

10, जदुनाथ सरकार मार्ग

कलकत्ता-700029

13. डॉ. सुरेश दलाल

निदेशक

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकेरसी महिला विश्वविद्यालय

स्नात्तकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग

पतंकर हाल भवन, 6 ठीं मंजिल

1, नाथीबाई ठाकेरसी मार्ग

बस्बर्ड-400 020

14. डॉ. के. एम. जार्ज

निदेशक एवं मुख्य संपादक

तुलनात्मक भारतीय भाषा

करीमपुमन्तिल

कोडियार, त्रिवेन्द्रम-695 003

15. डॉ. फाहमिदा बेगम

निदेशक

उदू प्रोन्नति ब्यूरो

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय

पश्चिम ब्लॉक, आर के. पूरम

नई दिल्ली-110 022

16. डॉ. सुभाष विश्वास

निदेशक

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय

भारत सरकार

शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110 001

17. श्री पी व्हो कृष्णामूर्ति
 234, 20 वीं, पूर्वी पथ
 कामराज नगर
 तिरुमनमियूर
 मद्रास-600 041
18. प्रो. पी. एन. कौला
 अतिथि प्रध्यापक
 लखनऊ विश्वविद्यालय
 लखनऊ
 उत्तर प्रदेश
19. श्री पी. के. पाटिल
 अध्यक्ष
 पुस्तकालय विज्ञान विभाग
 सह-विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
 मैसूर विश्वविद्यालय
 मैसूर
20. डॉ. रामशोभित प्रसाद सिंह
 पुस्तकालयाध्यक्ष
 सिन्हा पुस्तकालय
 पटना-800 001
 बिहार
21. श्री टी. रतन
 उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
 अरुणाचल प्रदेश सरकार
 नया इटानगर
 अरुणाचल प्रदेश
22. डॉ. बी. पी बरुआ
 निदेशक
 राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
 कलकत्ता

प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री मोहन मुकर्जी

अध्यक्ष

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

‘श्यामली’

भवानी सिंह मार्ग,

जयपुर-302015

2. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन

अतिरिक्त सचिव

भारत सरकार

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

3. डॉ. मनमोहन सिंह

वित्तीय सलाहकार

भारत सरकार

(समाकलित वित्त खण्ड)

शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

4. प्रो. पी. बी. मंगला

अध्यक्ष

भारतीय पुस्तकालय संघ

19/4 कैभेलरी लाइन्स

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर

दिल्ली-110 007

5. श्री ए. के. सेन

बी-42 पंचशील इन्क्लेभ

नई दिल्ली-110 007

6. डॉ. रमेश के अरोड़ा

प्राध्यापक

लोक प्रशासन

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर-302004

7. डॉ. सुरेश दलाल

निदेशक

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकेरसी मिहला विश्वविद्यालय
स्नात्कोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग

पतंकर हाल भवन, 6 ठी मंजिल

1, नाथीबाई ठाकेरसी मार्ग

बम्बई-400 020

8. श्री सुभाष विश्वास

निदेशक

भारत सरकार

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली

9. श्री के. एम. जाजै

निदेशक एवं मुख्य संपादक

तुलनात्मक भारतीय भाषा

करीमपुमन्निल

कोडियार, त्रिवेन्द्रम-695003

10. श्री पी. के. पाटिल

अध्यक्ष

पुस्तकालय विज्ञान विभाग

सह-विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

मैसूर-विद्यालय

मैसूर

11. डॉ बी. पी बर्हग्रा

निदेशक

राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

कलकत्ता

राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची

1. आनंद्र प्रदेश

निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय
हैदराबाद, आनंद्र प्रदेश

2. असम

पुस्तकालयाध्यक्ष
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
गौहाटी, असम

3. बिहार

पुस्तकालय अधीक्षक
सिन्हा पुस्तकालय मार्ग
पटना-800 001
बिहार

4. गुजरात

पुस्तकालय क्यूरेटर
गुजरात राज्य
सेक्टर नम्बर-21 (ग्यामखाना के समीप)
गांधीनगर
गुजरात-382121

5. हरियाणा

जन शिक्षा निदेशक

(महाविद्यालय)

चण्डीगढ़, हरियाणा

6. हिमाचल प्रदेश

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय

सोलन, हिमाचल प्रदेश

7. जम्मू एवं कश्मीर

शिक्षा निदेशक

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

पुराना सचिवालय

श्री नगर, जम्मू एवं कश्मीर

8. कर्नाटक

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष

सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग

शे.साड्रि अट्यर स्मृति भवन

कब्बन पार्क, बंगलोर-560001

9. केरल

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष

त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय

त्रिवेन्द्रम-695001, केरल

10. महाराष्ट्र

निदेशक, पुस्तकालय निदेशालय

महाराष्ट्र राज्य टाउन हाल,

बम्बई

11. मध्य प्रदेश

निदेशक

आदिम एवं हरिजन कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल, मध्य प्रदेश

12. मणिपुर

प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय

मणिपुर, इम्फाल

13. मेघालय

जन शिक्षा निदेशक

शिलौंग, मेघालय

14. नागालैण्ड

निदेशक

कला एवं संस्कृति,

कोहिमा, नागालैण्ड

15. उड़ीसा

अवर सचिव, उड़ीसा सरकार
पर्यटन, खेल एवं संस्कृति विभाग
भुवनेश्वर, उड़ीसा

16. पंजाब

सहायक निदेशक (संस्कृति विभाग)
लोक शिक्षा निदेशक का कार्यालय
सी (पंजाब) ए. सी. ओ. संख्या 66-67
सेक्टर 17-ही,
चण्डीगढ़, पंजाब

17. राजस्थान

उप निदेशक (समाज शिक्षा)
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विदेशालय
राजस्थान, बीकानेर

18. सिविकम

विशेष कार्य पदाधिकारी
सांस्कृतिक विभाग
कम्यूनिटी सेन्टर पुस्तकालय
गंगटोक-737101
सिविकम

19. तमில்நாடு

निदेशक
सार्वजुनिक पुस्तकालय
तमில்நாடு
एழமூர், மண்ண-600008

20. त्रिपुरा

वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष
बीरचन्द्र राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
त्रिपुरा सरकार,
अगरतला-799001

21. उत्तर प्रदेश

विशेष कार्य पदाधिकारी (पुस्तकालय)
उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग
38 दरबारी लाल शर्मा मार्ग,
विधान भवन, लखनऊ

22. पश्चिम बंगाल

निदेशक
पुस्तकालय सेवा
पश्चिम बंगाल सरकार
राइटर्स बिल्डिंग
কলকাতা-700001



केन्द्रशासित क्षेत्र

1. अण्डमान एवं नीकोबार द्वीप समूह
शिक्षा निदेशक
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान

2. अरुणाचल प्रदेश

उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
केन्द्रीय पुस्तकालय,
अरुणाचल प्रदेश सरकार
नया इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

3. चण्डीगढ़

पुस्तकालयाध्यक्ष
टी. एस. केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय
चण्डीगढ़

4. दादरा एवं नगर हवेली

शिक्षा विभागाध्यक्ष
प्रशासक का कार्यालय
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा

5. दिल्ली

शिक्षा निदेशक
दिल्ली प्रशासन
पुराना सचिवालय, दिल्ली
दिल्ली

6. गोवा, दमन, दीव

क्यूरेटर
गोवा, दमन, दीव सरकार
केन्द्रीय पुस्तकालय,
पाण्जी, गोवा

7. लक्षद्वीप

समाज कल्याण अधिकारी

लक्षद्वीप केन्द्रशासित प्रशासन

समाज कल्याण एवं संस्कृति विभाग

कारवती, वाया-एच. पी. ओ.

कालीकट

8. मिजोरम

उप निदेशक, शिक्षा विभाग


एजोल, मिजोरम

9. पाण्डिचेरी

शिक्षा निदेशक

पाण्डिचेरी-605001

संगठन सारिणी



वर्ष 1983-84 के दौरान पुस्तक संचयन के लिए दी गई सहायता राशि का विवरण

राज्य का नाम	सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या	देय राशि
40	केरल	1,32,250.00 रुपये
40	उड़ीसा	31,600.00 रुपये
40	मिजोराम	18,000.00 रुपये
79	देह	12

वर्ष 1983-84 के दौरान केरल हारा पाँच-पाँच सौ के दो चैक वापस प्राप्त किये गये और उसे रद किर दिया गया।

वर्ष 1983-84 के दौरान दी गई सहायता का विवरण

राज्य का नाम	प्रारंभिक अंशदान	प्राप्त अंशदान	समतुल्य सहायता	सहायता का योग	राशि बकाया	टिप्पणी
आनंद प्रदेश	358	300	300	958	265	693
आसम	50	50	100	200	33	167
बिहार	276	200	200	676	657	19
गुजरात	290	100	100	490	196	294
हरियाणा ।।	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	(-) 331	400	400	469	37	432
केरल	952	—	—	952	210	742
मध्य प्रदेश	(-) 34	—	—	(-) 34	—	(-) 34 भवित्य प्राप्त में सहायता - अंशदान से समायोज्य ।
महाराष्ट्र	101	200	200	501	69	432
मणिपुर	—	10	10	20	—	20
मेघ.लय	—	—	—	—	—	—
तागालण्ड	26	—	—	25	50	1

उडीसा	131	100	464	695	702	(-)	7	भविष्य में प्राप्त सहायता-अंशदत्त से समायोज्य ।
पंजाब	11	50	50	111	106	5		
राजस्थान	159	—	100	259	234	25		
सिक्खिम	2	—	—	—	—	2		
तमिलनाडु	510	—	—	510	2	—		
चिपुरा	2	49	49	100	174	336		
उत्तर प्रदेश	119	200	200	518	5	95		
पश्चिम बंगाल	72	100	100	272	467	51		
आण्डमान एवं निकोबार	—	10	10	20	27	245		
आरुण्याचल प्रदेश	14	10	10	34	—	—		
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—		
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—		
दिल्ली	—	—	—	—	—	—		
गोवा, दमन, दीव लक्षद्वीप	10	—	—	10	20	—		
मिजोराम	—	—	—	—	—	—		
पाण्डुचेरी	66	20	20	106	65	41		
	13	5	46	64	30	34		

(i) 1-4-1983 से 31-3-1984 तक की अवधि का आय एवं व्यय लेखा

आय व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रारंभिक शेष :						
हाथ रोकड़— बैंक रोकड़ (चालू खाता)	—	—	2,27,746.07			
बैंक रोकड़ (बचत खाता)	13.270.10					
सावधि जमा	6,00,000.00		8,41,016.17			
नियमित आग्रह (इम्प्रेस्ट)			500.00			
II. राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान :						
1. अण्डमान एवं निकोबार	10,000.00					
2. आन्ध्र प्रदेश	3,00,000.00					
3. अरुणाचल प्रदेश	10,000.00					
4. असम	50,000.00					
5. बिहार	2,00,000.00					
6. गुजरात	1,00,000.00					
7. कर्नाटक	4,00,000.00					
I. प्रशासन :						
कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	4,03,925.13					
आयकर छूट	6,185.00					
	3,97,740.13					
II. व्यवसायकर छूट	2,519.00		3,95,221.13			
	2,519.00					
III. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	29,996.75					
3. कर्मचारियों के चिकित्सा एवं अन्य भत्ते	9,727.30					
IV. प्रतिष्ठान, प्रशासनिक समिति की बैठकों से सम्बन्धित गैर- कार्यालय सदस्यों का यात्रा भत्ता	51,906.30					
V. भवन का किराया	28,368.00					
VI. अन्य शुल्क	65,991.97					

आय

दयाय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
8. महाराष्ट्र मिजोरम	2,00,000.00 20,000.00				7. अवकाश वेतन एवं पैशन अंशदान	9,486.00		
9. मणिपुर	10,000.00				8. कर्मचारी वाहन का रख रखाव	12,254.09		
10. मणिपुर	1,00,000.00				9. अंशदान भविष्य-निधि में प्रतिलान का अंशदान	17,186.00		
11. उडीसा	50,000.00				10. अंशदायी भविष्य-निधि पर व्याज एवं बोनस	14,029,34		
12. पंजाब	5,000.00				11. कर्मचारी कल्याण लेखा परीक्षा शुल्क	5,000.00		
13. पाञ्चचरी	49,000.00				12. लेखा परीक्षा शुल्क	5,775.00		
14. त्रिपुरा	2,00,000.00				13. अग्रिम :			
15. उत्तर प्रदेश	1,00,000.00				I. त्योहार	4,000.00		
16. पश्चिम बंगाल	18,04,000.00				II. साइकिल	1,100.00		
	<u>44</u>				14. आय कर जमा	6,185.00		
III. भारत सरकार से प्राप्त अंशदान :					15. व्यावसायिक कर जमा	2,519.00		
गैर-योजना योजना	4,61,000.00 28,00,000.00				II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार :			
	<u>32,61,000.00</u>				(अविच्छिन्न योजना)			
					1. पुस्तकों पठनीय एवं दृश्यात्मक सामग्रियों का पर्याप्त भंडार बनाने हेतु सहायता			
IV. विविध प्राप्तियाँ :					2. पुराने अखबारों की बिक्री	54.00		
1. बैंक व्याज	74,884.99				3. यात्रा भत्ता की वापसी (कर्मचारी)	2,130.60		

आय

ध्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
4. श्रवकाश वेतन की वापसी	331.75									
5. सेमिनार खाते पर वापसी	400.00									
6. कलकुलेटर आदि की कीमत पर वापसी	307.25									
7. स्मारका में विज्ञापन हेतु शुल्क प्राप्ति	6,875.00									
8. अन्य मिश्रित प्राप्ति	653.20									
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि लेखा :	45									
1. प्रारंभिक शेष :										
हाथ रोकड़ बैंक रोकड़										
2. अंशदान इत्यादि :										
I. कर्मचारियों द्वारा शणिदान	23,483.28									
3. प्रारंभिक शेष :										
हाथ रोकड़ बैंक रोकड़										
4. पुस्तक संचयन हेतु पुस्तकालयों की सहायता	1,80,850.00									
5. पुस्तक संचयन हेतु सहायता	4,000.00									
6. ग्रन्थालय की सहायता	11,770.74									
7. ग्रन्थालय की सहायता	4,03,068.79									
8. ग्रन्थालय की सहायता	36,415.20									
9. ग्रन्थालय की सहायता	30,44,691.68									
10. ग्रन्थालय की सहायता	2,73,484.25									
11. ग्रन्थालय की सहायता	1,67,916.00									
12. ग्रन्थालय की सहायता	—									

आय व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
II. अग्रिम की वापसी	12,561.00			
III. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	17,186.00			
IV. ड्याज एवं बोनस पर प्रतिष्ठान का अंशदान	14,029.34			

5. संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु साहयता	14,027.15
6 सुरक्षा जमा की वापसी	1,573.67
39,69,881.48	<u>39,69,881.48</u>
III. अन्य उत्साहवर्द्धक गतिविधियाँ :	
1. बैठक	11,182.00
2. विशेष पुस्तकालय	10,325.58
3. प्रकाशन	31,328.66
4. विज्ञापन शुल्क की वापसी	250.00
	53,086.24

५

IV. पूँजीगत खर्च :	
1. उपस्कर एवं असवाब	4,250.00
2 कायलिय भवन निर्माण हेतु अग्रिम	<u>10,00,300.00</u>
	10,04,550.00

आय

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
V अन्त शेष :						
हाथ रोकड़					188.25	
हाथ रोकड़ (चालू खाता)					<u>3,05,201.11</u>	3,05,389.36
एवं (बचत खाता)						

V अन्त शेष :
नियमित अग्रिम (इम्प्रेस्ट)

I. राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिठान कर्मचारी अंशदायी
भवित्वे निधि लेखा।

1. कर्मचारियों को अग्रिम
2. अंत: शेष:

हाथ रोकड़
बैंक रोकड़ (लागत सहित) 2,18,928.00

कुल योग 62,30,332.96

(ii) 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा

व्यय	आय	
	रु०	पै०
	रु०	पै०
I. प्रशासन :		
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	4,08,619.43	
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	27,586.10	
3. कर्मचारियों के चिकित्सा एवं अन्य भत्ता	9,727.30	
4. प्रतिष्ठान, प्रशासनिक समिति के गैर-		
कायलय सदस्य का यात्रा भत्ता	51,906.30	
5. भवन का किराया	28,368.00	
6. अन्य शुल्क	71,631.97	
7. अवकाश वेतन एवं पेशन अंशदान	9,486.00	
8. कर्मचारी वाहन का रखरखाव	12,254.09	
9. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	17,186.00	
		48
I. सरकारों से प्राप्त अंशदान :		
अ. राज्य सरकारों से प्राप्त	18,04,000.00	
b. केन्द्र सरकार से प्राप्त पूँजीगत खर्च के लिए पूँजीकृत निधि का घटाव	32,61,000.00	
		40,50,499.67
II. विविध प्राप्तयां :		
1. पुराने श्रावकारों की बिक्री	54.00	
2. साईकिल अग्रिम पर व्याज	84.00	
3. अन्य प्राप्तियां	653.20	
		791.20
II.. बैंक से प्राप्त व्याज :		
1. श्राय से अतिरिक्त व्यय		74,884.99
		3,15,784.99

वय

आय

	रु०	पौ०	रु०	पौ०
10. व्याज और बोनस भुगतान के लिए प्रतिष्ठान का अंशदान	14.029.34			
11. कर्मचारी कल्याण	5.000.00			
12. लेखा परीक्षा शुल्क	5,775.00		6,61,569.53	
11. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार : (अविच्छिन्न सेवाएँ)				
पुस्तक क्रय एवं विवरण के माध्यम से (जिला, ग्रामीण केन्द्रीय चयन और केन्द्र- पोषित योजनाओं) पुस्त- कालय को सहायता 37,58,159.92				
चल पुस्तकालय सेवाओं के श्रायोजन हेतु सहायता 11,770.74				
			37,69,930.66	
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष को निकासी को घटाये 2,81,432.35				
			34,88,498.31	
वर्ष के दौरान अन्य देयताओं को जोड़े 59,280.20			35,47,778.51	

व्यय

आय

₹० ₹० ₹० ₹० ₹०

पुराने और सुहड़े पुस्तका-
लय को अप्राप्य तथा दुर्लभ
पुस्तकों, पाड़ुलिपियों को
प्रक्रिया (सूचीकरण एवं
वर्गीकरण) जिलदसाजी एवं
परिक्षण हेतु सहायता
4,000 00

नई योजनाओं :

पुस्तकालयों को पुस्तक
संचयन हेतु सहायता
संगोष्ठियों, कार्यशालाओं,
प्रशिक्षणापाठ्यक्रमों तथा
पुस्तक प्रदर्शनियों के
आयोजन हेतु सहायता
13,627.15

III. अन्य उत्साहबद्धक गतिविधियों :

1.	बैठक	11,182.00
2.	प्रकाशन	<hr/> 22,953.66
		34,135.66
		कुलयोग : 44,41,960.85

III. 31 मार्च 1984 की अवधि कक्ष तलत-पत्र

	देयताएँ		परिसम्पत्तियाँ		
	₹०	₹०	₹०	₹०	
I.	जमा विधि :				
	पिछले लेखानुसार	16,40,012.12	I.	उपस्कर एवं असबाब :	
	आय के ऊपर अधिक व्यय			पिछले लेखानुसार 1,41,014.40	
	राशि को घटाये	<u>3,15,784.99</u>		वर्ष के दौरान जोड़ 4,250.00	
		<u>13,24,227.13</u>		<u>1,45,264.40</u>	
पूँजीकृत निधि को जोड़े	10,14,500.33	23,38,727.46			
			वर्ष के दौरान लौटाई		
			गई राशि को घटाये		
			<u>307.25</u>	<u>1,44,957.15</u>	
II.	बकाया देयता :			II.	भूमि तथा भवन :
	पिछले लेखानुसार	4,91,124.76		भूमि	
				पिछले लेखानुसार 80,768.45	
				इस वर्ष को जोड़ —	
				भवन	
वर्ष के दौरान वापस की गई	2,81,432.35				
राशि घटाये	<u>2,09,692.41</u>				
वर्ष के दौरान बकाया	59,280.20	2,68,972.61			
देयता को जोड़े					

देयताएँ

परिसम्पत्तियाँ

	रु०	पौ०	रु०	पौ०	रु०	पौ०	रु०	पौ०
III. सुरक्षा जमा :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान वापस की गई राशि को घटाये	2,073.67				29,111.85			
							—	29, 11.85
IV. स्मारिका खाता :								
वर्ष 1982-83 में विज्ञापन दर की प्राप्ति प्रकाशन खाते में स्थानान्तरित राशि को घटाये	1,573.67							
							—	
V. स्मारिका खाता :								
वर्ष 1982-83 में विज्ञापन दर की प्राप्ति प्रकाशन खाते में स्थानान्तरित राशि को घटाये	1,250.00							
							—	
VI. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	1,67,916.00				70,264.00		2,38,180.00	
VII. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	19,252.00							
VIII. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	1,18,928.00							
IX. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	15,000.00							
X. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	5,640.00							
XI. जमा राशियाँ :								
पिछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाये	9,360.00							

भूमिपति (किराया एवं
भवन)
पिछले लेखानुसार 4,500.00

प्रतिभूति राशि	100.00
पिछले लेखानुसार	13,960.00

VI. अग्रिम राशियाँ

दयोहार	1,600.00
पिछले लेखानुसार	4,000.00
वर्ष के दौरान जोड़	5,600.00

वर्ष के दौरान वापसी को घटायें	4,000.00
	16,00.00

साईकिल	308.00
पिछले लेखानुसार	1.100.00
इस वर्ष का जोड़	1,408.00

वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि को घटायें	594.00
	814.00

देयताएँ

परिसम्पत्तियाँ

	₹०	₹०	₹०	₹०
	५०	५०	५०	५०

VIII राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी)
अंशदायी भविष्य निधि लेखा
का अंतः शेषः

	—	—	—
हाथ रोकड़ बैंक रोकड़	2,18,928 00	2,18,928,00	
(लागत सहित)			

XII. अंतः शेष

	188.25	3,05,201.11	3,05,389 36
हाथ रोकड़ बैंक रोकड़			

IX. अग्रदाय के पास नगदी रोकड़

कुलयोग : 28,27,128.07

ह० / एस. बसु
लेखाकार

ह० / बी० पी० बरुआ
निदेशक
कार्यकारी अधिकारी

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के लेखाओं और तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और अपनी परीक्षा के परिणाम स्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार में लिखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के कार्यालय का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : कलकत्ता

दिनांक : 21 नवम्बर, 1984

(ह० / ज० एस० माथुर)

निदेशक लेखा-परीक्षा

वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या का विवरण

आनंद्र प्रदेश	कुल संख्या									
	कर्मसु	श्रमिक	कृषि	विद्यालय						
आसम	1	27	*	23	*	65	—	—	28 + *	—
बिहार	1	9	—	—	—	—	1	—	99	—
गुजरात	1	31	—	—	—	—	1	—	550 + *	—
हरियाणा	1	18	—	—	—	—	—	—	628	—
हिमाचल प्रदेश	1	5	—	—	—	—	4	—	—	—
जम्मु और कश्मीर	1	11	—	—	—	—	3	—	13	—
कर्नाटक	1	14	—	—	—	—	2	—	14	—
केरल	1	19	—	—	—	—	—	—	15	—
मध्य प्रदेश	1	11	—	—	—	—	2	—	587	—
महाराष्ट्र	1	29	—	—	—	—	5	—	181	—
मणिपुर	—	39	—	—	—	—	1	—	31	—
		5	—	—	—	—	—	—	240	6

पुस्तकालयों की सूची प्राप्तनहीं हैं ।


वर्ष 1972-73 से 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त


पुस्तकालयों की संख्या का विवरण :

राज्यों का नाम	आनंद्य प्रदेश रो.	620	14	1	852	—	14	1	1515
असम	1	10	11	—	115	—	4	3	144
बिहार	1	31	24	—	1624	—	13	1	1694
गुजरात	1	18	—	—	1059	11	5	1	1095
हरियाणा	1	5	—	—	44	—	2	6	58
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	—	36	—	5	1	54
जम्मू एवं काश्मीर	1	14	5	—	1	—	1	1	24
कर्नाटक	1	19	2	—	175	1909	—	7	2119
केरल	1	11	—	—	—	—	—	8	1096
मध्य प्रदेश	1	29	20	—	1072	—	4	—	2068
महाराष्ट्र	1	39	195	—	2005	—	11	2	1645

* अंकों का सम्बन्ध वर्ष 1981-82 तक ही है।


वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खर्च को गई¹
राशि का अनुपात






प्रशासनिक खर्च

(11.59%)




पूँजीगत खर्च

(17.67%)



जिल्दसाजी एवं परिरक्षण हेतु सहायता	(0.07%)
पुस्तक संचयन हेतु सहायता	(3.18%)
चल पुस्तकालय सेवा हेतु सहायता	(0.21%)
संगोष्ठी, एवं कार्यशाला हेतु सहायता	(0.25%)



समतुल्य सहायता के अन्तर्गत राज्य केन्द्रीय
पुस्तकालयों / जिला पुस्तकालयों / उपमण्डलीय
पुस्तकालयों को सहायता (4.81%)



केन्द्रीय रूप से पोषित पुस्तकालयों को सहायता (0.64%)
केन्द्रीय चयन द्वारा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों/ जिला पुस्तकालयों को सहायता (7.09%)
अन्य प्रोन्नतिकारक गतिविधियों के लिए खर्च (0.09%)



समतुल्य सहायता के अन्तर्गत ताल्लुक, शाखा,
शहरी, ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता (53.56%)